[Shri B. R. Bhagat]

world forum. I think we have done the right thing, we have done the thing which should have been done on the basis of principle. Of course, we have appealed for restraint because there is a serious situation in the Central Mediterranean. It should be all the parties concerned, the USA and others. We appealed personally to the Secretary-General that he should talk to the USA, United States of America and other parties concerned in the region, the countries of the Mediterranean, Libya included. Such a step should be prevented. There should not be any more escalation. I think this is the demand of the people of this country, and this is the right approach in this matter.

For calling a meeting of the General Assembly a question has been asked. There are certain procedures through which the General Assembly can be called. It can be called either through the Security Council or it can be called by the majority of the members, in consultation with the majority of the members of the United Nations. One is a quicker process and the other a longer process because consultations with the majority of the members of the General Assembly takes a longer time. But we have considered this in the Non-aligned Bureau in the last meeting that we had of the Groups which went there. And we said that this matter was open, this option was open. We will take a decision. The Non-aligned Bureau Group in New York will take a decision in the matter as the situation arises. But the main point is we must work for peace. We must work for prevention of such an event happening again. We must work for a restraint all over. That is what we precisely did and that was our mandate. We did it to the best of our ability.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stand adjourned till 2.30 P.M.

The House adjourned for Lunch at six minutes past one of the Clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock— Mr. Deputy Chairman in the Chair.

RESOLUTION RE: COMBATING THE DRUG MENACE AND REHABILITATION OF DRUG ADDICTS

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Sir, I beg to *move the following Resolution:*—

"This House recommends that Government should—

(i) take steps to combat effectively the spreading menace of drugs and narcotics, which are degenerating the nation, especially the younger generation, and

(ii) make institutional arrangement for the rehabilitation of drug addicts by using the revenue realised by way of penalties, seizures, etc. from offenders and drug traffickers."

Sir, if you permit me, I will speak in Hindi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतल्ला : मान्यवर, आज जिस विषय के ऊपर मैं बोलने वाली हूं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि आज हमारे देश में दो खास अहम चीजें हैं जिन पर कि पूरे देश की निगाह लगी हैं। एक है टेरोरिजम और दूसरी है ड्रग एडिक्शन। दोनों ही अपने तौर पर हमारे समाज को, और देश को और हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को कमजोर कर रही हैं।

आज ड्रग एडिक्शन की जो मेनेस है, वह फैल कर इतना बढ़ चुकी है कि न सिर्फ बड़े-बड़े शहरों—बम्बई कलकत्ता दिल्ली, मद्रास बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी और छोटे-छोटे गांवों में भी छोटे-छोटे बच्चों को भी इसकी आदत पड़ गई है; जिससे कि न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनकी पूरी जिन्दगी बर्बाद हो रही है। यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश की जो पुरानी सभ्यता थी, हमारे देश का जो कल्चर था, उसको हमने भूल कर बाहर के, वैस्टर्न कल्चर से जो खराबियां थीं, वह अपने समाज में ले लीं जिसकी वजह से कि हमारे देश के अन्दर हमारे नौजवानों के अंदर यह खराबियां पैदा हो रही हैं।

आज हमारे सामने डिप्टी मिनिस्टर आफ हैल्थ आये हुए हैं, मगर मैं यह समझता हूं कि सरकार इस चीज पर गौर करे तो इसमें एक मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि काफी कुछ मिनिस्ट्रीज को हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि ला मिनिस्ट्री, इन्टीरियर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आफ होम, हैल्थ मिनिस्ट्री, सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को जरूरत पड़ेगी कि वह लोग इसके अंदर हाथ बंटा कर, मदद करके इस मेनेस को अच्छी तरह से उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें।

आज जब कि हमारे प्रधान मंत्री हमारे देश के नौजवानों की तरक्की के लिये इतनी कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ उन्होंने सपरेट यूथ का डिपार्टमेंट बनाया और स्टूडेन्ट्स के लिये नई एजूकेशन पालिसी बनाई, बल्कि, ह्यूमन रिसोर्सेज डिवेलपमेंट के लिये उन्होंने जो कुछ किया है और वह यह चाहते हैं, कि हमारी आने वाली नसलें पढ़-लिखकर देश के अच्छे नागरिक बनें, जो कि अपने लिये फायदेमन्द हों, अपने समाज के लिये फायदेमन्द हों और अपने देश के लिये फायदेमन्द हों। हमारे यहां जो एक गलत चाल चल चुकी है और उससे जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बड़े अफसोस की बात है। बहुत से लोग इस चीज को सही मायनों में नहीं समझते हैं कि यह ड्रग एडिक्शन कहां से शुरू होता है। कुछ नौजवान लोग सिर्फ एक किक के लिये जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रग एडिक्शन शुरू कर देते हैं। एक बार शुरू करते हैं और उसके बाद उस में फंस कर रह जाते हैं। कुछ लोग अपनी परेशानियों को भूलने के लिये जो उनको दुख-दर्द होते हैं उनको भूलने के लिये इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं बाद में यह आदत उनके लिये बजाय परेशानियों को दूर करने के परेशानियों का कारण बन जाती हैं। यह आदत पूरी जिन्दगी उनके साथ चलती है। अफसोस की बात है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग है जो कि सिर्फ पैसे की खातिर हमारे देश के मासूम बच्चों को और नौजवानों को इस ड्रग की मीनेस बचपन में इस तरीके से एडिक्ट कर देते हैं, जबरन उनको गोलियां खिलाकर या उनको इंजेक्शन लगा कर कि बाद में उन्हें उसकी आदत ही पड़ जाये और वे उस आदत से छुटकारा नहीं पा सकें। मैं बम्बई शहर से आती हूं। वहां की अच्छी बातों पर मुझे फक्र है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि वहां न सिर्फ कालेजों के बल्कि स्कूल के बच्चों को भी इसकी आदत दिलाई जाती है। पुलिस ने ऐसे केस पकड़े हैं कि जहां मीठी गोलियों के अन्दर उस ड्रग को मिलाकर उन्हें देते हैं या वह ड्रग बेचते हैं। या फिर इंजेक्शन लगाकर भी दे देते हैं ताकि उन्हें इसकी आदत पड़ जाये। एक बार इस ड्रग की आदत हो जाती है तो बाद में उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वह चीज नहीं मिले तो उसके विदड्राअल सिम्पटम्स ज्यादा होते हैं। उसके बाद वह उस आदत से बाज नहीं आता उसके लिये चाहे उसे चोरी करनी पड़े, जेब काटनी पड़े या फिर जायदाद बेचने पर ही क्यों न मजबूर होना पड़े। वह ड्रग खरीदने पर मजबूर होता है ताकि वह उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे देश के आस-पास कुछ ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि जिसके कारण हिन्दुस्तान एक सैन्टर बन गया है ड्रग ट्रेफिकिंग के लिये। खास तौर पर हमारे ईस्ट में गोल्डन ट्रायएंगल है जिसमें कि थाईलैंड, बर्मा और लाओस के एरिया शामिल हैं और हमारे वैस्ट में

[डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुला]

गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें इन्डो-पाक बार्डर आता है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ईरान के मुल्क आते हैं। पहले जब यहां ऐसे हालात नहीं थे तो हिन्दुस्तान के अन्दर 1972 के पहले ड्रग के इविक्शन की बात किसी ने नहीं सुना थी, हालांकि हमारा देश शुरू से ही ओपियम की पैदावार के लिये मशहूर है और हम मैडिकल यूज के लिये इसका इस्तेमाल करते आये हैं। लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होने की पहली सूचना 1972 के अन्दर हमको मिली जब एक केस पकडा गया। सी० आई० ए० की रिपोर्ट आपके सामने थोड़ी सी पढ़नी चाहूंगी।

"The first ever batch of narcotics to be prepared for clandestine export from Bombay to the West was by the CIA in 1972—800 kgs of opium to the USA itself, whose weakness for the opiates was then rampant. Packed in tins, ready for shipment the opium was intercepted by the Bombay Police at a desolate beach on the city's shoreline. The Police had no clue as to the CIA's involvement, and took it as the first instance of the city's underworld trying its heard at hard drugs in stead of gold."

1972 के बाद से कितने ही लोगों को इसके अन्दर बढ़ौतरी आयी है, उसके बारे में मैं आपको थोडा सा बोलना चाहती हूं। 1983 से 1985 की मैं आपको फिगर्स दूंगी। ये मेन्ड्रेक्स टेबलेट 1983 में 33 किलोग्राम पकडा गया, 1984 में 590 किलोग्राम पकडी गयीं, 1985 में 856 किलोग्राम पकड़ी गयीं। आपियम 1983 में 22 किलोग्राम पकड़ी गया, 1984 में 25 किलोग्राम पकड़ा गयी, 1985 में 30 किलोग्राम पकड़ी गयी। हशीश की इसी तरह से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 1983 में 2270, 1984 में 516 और 1985 में 3374 किलोग्राम पकडा गया, जिसकी कीमत 135 लाख रुपये लगभग होती है। हीरोईन के लिये 1983 में 7 किलोग्राम और 1985 में 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी इसमें हुई। इसी तरह से मार्फिन 1963 में 9 किलोग्राम थी और 1985 में 39 किलोग्राम पकड़ी गयी थी, जिसकी कीमत 20 लाख होती है।

माननीय, इस ड्रग-ट्रैफिकिंग के अन्दर कितना रुपया इन्वोल्व है और कितने लोग इसके अन्दर इन्वोल्व हैं, इसकी अपेक्षा न आप कर सकते हैं और न ही हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे यहां दिल्ली के अन्दर एक स्टडी हुई कि कितने लोग यहां पर इस ड्रग्स-एडिक्शन में हैं, क्या-क्या उनके बारे में डाक्टर की राय है। डाक्टर की जो रिपोर्ट है, उनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि तीन डाक्टरों को इंटरव्यू के लिए यहां पर लाया गया, जिससे यह पता लगा कि कितने लोग ऐसे ड्रग-एडिक्शन के है और कितने पैसेन्ट्स आते हैं। वर्ष 1981 में जी० बी० पंत अस्पताल के अन्दर 93 ड्रग-एडिक्शन पेसेन्ट्स आये थे और 1984 में 592 आये और कुल 821 थे। तो इसी बात से आप अंदाज लगा सकते है कि किस तरीके से ड्रग-एडिक्शन की धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई है। आज हालात ऐसी पहुंच गयी है कि हमारी सरकार को इस बारे में बहुत गौर से ध्यान देना चाहिये। हमारा ला जो पास किया गया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंप्रहैंसिव ला पास किया, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ भी मजबूत हुए हैं और इससे उन्हें ड्रग-एडिक्ट्स और ड्रग-पैडलरस को पकड़ने में आसानी होगी।

माननीय, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी सरकार कानून बनाती है, जैसे लोक सभा में यह कानून 27 अगस्त 1985 को पास हुआ, वैसे कुछ लोग, पुलिस में हमारे बहुत अच्छे होते हैं ज्यादातर अच्छे होते हैं, जो ड्रग-एडिक्शन पकडवाते हैं। अगर नहीं पकडवाते तो जो मैंने यहां पर फिगर्स दी हैं, वह भी हमको मालूम नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मालूमात होने के बावजूद भी उनसे ड्रग हफ्ता लेकर आखें बंद कर लेते हैं, आखें मूंद लेते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि कितना नुकसान इस तरह से वे सारे देश

के लिये कर रहे है । क्योंकि इसमें पैसे का इन्वोल्वमेंट होता है, लाखों और करोड़ों रुपये का होता है, इसलिये किसी को हफ्ता दे देना और लालच पैसे का दे देना कोई मुश्किल बात नहीं है । मैं यहां एक बात जरूर आपके सामने कहूंगी कि हमारे देश में जो अफीम और दूसरे ड्रग नारकोटिक्स आ रहे हैं, वे बहुत हाई-ग्रेड के हैं, यानी अफसोस की बात है कि जब ड्रग भी देते हैं, तो वह लो ग्रेड का ड्रग देते हैं, जो और ज्यादा तकलीफ-देह होता है । अमरीका और यूरोप के मार्केट के लिये अच्छा क्वालिटी की हीरोईन और अफीम जाती है और हिन्दुस्तान के लिये जो सबसे थर्ड-ग्रेड होती है, जो फौरन ही उनको खत्म कर देती है, उस तरह की बेची जाती है । इसकी एक ग्राम की कीमत 50/- रुपये से 100/-. रुपये तक लग ई जाती है । तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडल्ट्रेशन करने के बाद अगर एक टन हीरोईन पकड़ा गया, तो कितने करोड़ों रुपये की स्मगलिंग हमारे देश में होती है, हमारे देश में किस तरह स्मगलिंग होती है और बाहर होती है । खासतौर पर इण्डो-पाक बोर्डर से बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है । अभी हमारे बोर्डर फोर्स की तरफ से बोर्डर को सील कर दिया गया है । पिछले सैशन में मुझे याद है कि हमारे इण्टरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर साहब ने एक बयान किया था जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से ऊंटों को लेकर वहां से ये नारकोटिक्स इल्लिसिट ड्रग्स लेकर आते हैं । और पुलिस ने उनको पकड़ा । मैं यह समझती हूं कि हमारी सरकार इस बारे में काफी कदम उठा रही है । फिर भी और ज्यादा स्ट्रिंजेन्ट मेजर्स उठाने की जरूरत है ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि जहां हम ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ते हैं, सजा देते हैं, उन पर पैनाल्टी लगाते हैं, वहीं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको सुधारने के लिये डि-एडिक्शन सैन्टर खोलने के लिये हमारी सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिये । इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारा हैल्थ मिनिस्ट्री और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री उन लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिये ज्यादा से ज्यादा डि-एडिक्शन सैन्टर खोले और साथ में सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन्स को ले कर इस काम को आगे बढ़ाये तभी हम समाज के इस मोलाने से अच्छी तरह लड़ सकते हैं ।

मैं यहां पर बताऊंगी कि कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्टूडैन्ट्स यूनियन ने इस चीज को बहुत जोर से उठाया है और पूरे हिन्दुस्तान में हम डि-एडिक्शन का काम करने जा रहे हैं । सबसे पहले एन एस यू आई दिल्ली के अंदर यह काम कर रही है ताकि खास तौर कालेज-स्कूल के बच्चों को बता सकें कि ये उनकी जिन्दगी तबाह करने के रास्ते हैं, इनसे वे दूर रहें ।

मैं यहां कुछ सजेशन देना चाहूंगी । सबसे पहली बात यह है कि हमारी सरकार ने जो बिल पेश किया है अगस्त 85 में उसमें पैनाल्टी बहुत कम है, लाख-दो लाख की पैनाल्टी किस हैसियत की होती है । जिस बिजनेस के अन्दर एक घंटे के अन्दर करोड़ों रुपये का लेनदेन होता है उसमें दो लाख रुपये की पैनाल्टी मजाक की लगती है । वह आदमी दो लाख रुपये देकर दुबारा बिजनेस में आ जाता है । बहुत से देशों में ड्रग-ट्रैफिकिंग के इतने सख्त लॉ हैं कि वहां सीधे ही उन लोगों को गोली मार दी जाती है । हमें यह बात बड़ी भयंकर लगती है, लेकिन अगर हम इस बात को इस दृष्टि से सोचें कि यह चीज हमारी यंग जैनरेशन को तबाह कर रही है तो हमें ऐसा नहीं लगेगा । मैं चाहूंगी कि ऐसा डिटरेंट पनिशमेंट हो जिससे वे लोग डर जायें । लाख-दो लाख की पेनाल्टी या साल-दो साल की सजा का कोई फायदा नहीं होगा । आप देख चुके हैं कि चार्ल्स शोभराज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के मुजरिम ने किस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपने आपको छुड़ा लिया । इसके बारे में हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा डिटरेंजेंट पनिशमेंट हो ताकि किस

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

को इसमें हिस्सा लेने पर डर पैदा हो और वे उस चीज से दूर रहें। तभी हम कुछ कर सकते हैं।

दूसरे मैं यह कहूंगी कि खास तौर पर इन्टरनल सीक्योरिटी मिनिस्टरी को ध्यान से देखना चाहिए, बार्डर सीक्योरिटी फोर्सेज को मजबूत करना चाहिए ताकि बार्डर से जो स्मगलिंग होती है—दोनों तरफ से होती है, नेपाल के बॉर्डर से होती है और इन्डो-पाक बार्डर से होती है—वह रुक सके। ड्रग दिल्ली के जरिए बम्बई में जमा होती है और बम्बई से उनकी स्मगलिंग बाहर की जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि कितने पकड़े गए हैं बम्बई में। 9 जनवरी को एक सिंगिल रेड के अन्दर अलीबाग तालुका में जो बम्बई के पास थाने में आता है, बम्बई से 150 किलोमीटर पर है, 615 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। यह सबसे बड़ा सीजर था जो इस प्रसंग में किया गया उसके बाद पहली फरवरी को 2.95 टन हशिश पकड़ी गई।

"On 1st January, the DRI seized 2.95 tonnes of hashish from a container at the Bombay docks to be loaded on a ship bound for Rotterdam *via* Singapore."

तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इस के अंदर पैसे का इंवाल्वमेंट होता है। तो अगर हम अपने कानूनों को मजबूत बनायेंगे तभी हम उन का सही मायनों में कुछ फायदा उठा सकेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा बिल आया है उस में कुछ ऐसी कमियां हैं। उन को सरकार कुछ अमेंडमेंट ला कर ठीक करे और उसे मजबूत बनाये तभी हम समझते हैं कि उस में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है।

इसी तरह रेवेन्यू इंटेलीजेंस को भी चाहिए कि हमारे जो एयर पोर्ट्स हैं और खास कर इंटरनेशनल एयर पोर्ट्स उन पर विजिलेंस बढ़ा दी जाय और जो हमारे सी पोर्ट्स हैं उन पर भी विजीलेंस बढ़ा दी जाय क्योंकि आज यह चीजें न सिर्फ एयर पोर्ट्स से बल्कि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से शिप्स से भी आती हैं और उन के जरिये भी बाहर से माल स्मगल किया जाता है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगी कि हमारी जो लोकल पुलिस है उस को भी और स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है क्योंकि जब रेवेन्यू इंटेलीजेंस वाले या बार्डर सेक्योरिटी वाले माल को पकड़वाते हैं तो लोकल पुलिस उन की पूरी तरह से मदद नहीं करती है। मुझे अफसोस है कि कुछ दिन पहले मैं ने अखबारों में पढ़ा था कि दिल्ली के एक प्रोफेसर ने भी ब्राउन शुगर के नाम से कोई ड्रग होती है उस का लेनदेन उसने किया था और यह बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को तालीम देते हैं, जो कालेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं वह भी इस बात पर उतर आये हैं कि वे अपनी आने वाली जनरेशन को, हमारे नौजवानों की जिन्दगी को तबाह और बर्बाद करने के काम में हाथ बंटा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिजनरेशन की बात और कोई नहीं हो सकती कि पढ़ाने वाले लोग जो सही रास्ता दिखाते हैं बच्चों को, वही उन को गलत रास्तों पर डालें। इसके लिये पुलिस को भी प्रोटेक्शन देना होगा क्योंकि लोकल पुलिस अगर विजिलेंट है तो वह इस काम को आगे बढ़ा सकती है और इस तरह की कार्यवाहियों को रोक सकती है।

दूसरे वालंटियरी आर्गनाइजेशन्स को, जैसा मैं ने पहले कहा इस में लेना चाहिए और उन की सरकार को मदद करनी चाहिए क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग का जो काम है उसमें

वायलेंस भी बहुत होती है। जैसे टेररिज्म में वायलेंस का इस्तेमाल होता है वैसे ही ड्रग्स के कारोबार में वायलेंस का इस्तेमाल होता है और किसी माफिया गैंग के हाथ में यह सारा काम रहता है। बंबई में अक्सर कोर्ट में ही जज और दूसरे लोगों के सामने लोगों को गोली मार दी गयी ताकि पता न लगे कि कौन उन का सोर्स है और कहां से यह ओरिजिनेट करता है और कौन कौन लोग इस में इंवाल्व हैं। तो जब ऐसे माफिया के लोग इस में शामिल रहते हैं जो न सिर्फ हिन्दुस्तान के हैं बल्कि पूरी दुनिया के माफिया गैंग के लोग इस में काम करते हैं और हम अखबारों में आये दिन इस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जो वालंटियरी आर्गनाइजेशन्स हैं उन को सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए, मदद देनी चाहिए ताकि वह लोगों को समझा सकें। अक्सर बहुत से लोग देखते हैं कि उन की आंखों के सामने यह सब हो रहा है लेकिन एक तो बहुत से लोग घबराते हैं कि कौन पुलिस और सरकार के ऐसे मामलों में कोर्ट में जाय और इस लिये बोलते नहीं और बहुत से लोग डर की वजह से भी नहीं जाते क्योंकि माफिया गैंग उन की जान के लिये खतरा बन सकते हैं और इस लिये वे हट जाते हैं। तो वालंटियरी आर्गनाइजेशन्स को मदद देनी चाहिए। इस के साथ ही उन का इस्तेमाल रिहैबिलिटेशन के लिये भी करना चाहिए और लोगों में ऐसी भावना और वातावरण पैदा करने के लिये कि इस की क्या खराबियां हैं और इन ड्रग्स से क्या नुकसान होता है उनके लिये भी सरकार को इन की मदद देनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि यह मामला सरकार की किस मिनिस्ट्री में आयेगा मुझे यकीन है कि हेल्थ मिनिस्ट्री में तो नहीं आयेगा और शुरू में मैं ने इसीलिये कहा था कि इस का ताल्लुक 5-6 मिनिस्ट्रीज से है, इसलिए अगर वे यहां होते तो अपने अपने विभागों का उत्तर अलग-अलग देते। चूंकि वे यहां नहीं हैं इसलिए मैं आपके द्वारा अपनी बात सरकार को बताना चाहती हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): कुछ मिनिस्टरों को भी ऐडिक्शन होगा।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला: मैं तो चाहती हूं कि हाउस में बैठने का ऐडिक्शन हो जाय लोगों को।

संसदीय कार्य (राज्य मंत्री) (विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी): उनको हो या नहीं आपको जरूर है।

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला: अगर सोशल आर्गनाइजेशंस मदद करें तो वलंटरी आर्गनाइजेशंस इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। अतः सरकार को चाहिए कि वह उनकी मदद करे, उनको लिट्रीचर दे, उनको ट्रेनिंग दे ताकि वे घर-घर जाकर स्कूलों व कालेजों में जाकर यह समझा सकें कि यह ड्रग कितना खतरनाक है। कई दफा तो मां-बाप को भी पता नहीं लगता है कि उनके बच्चे ड्रग ऐडिक्ट हो गए हैं। But it becomes too late for them to take any rectifying measures.

इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वह ऐक्जिबिशंस के जरिए, स्ट्रीट प्लेस के जरिये इनके दुष्परिणामों के बारे में बतायें जिससे लोगों को पता लगे कि कौन-कौन सी एजेंसीज हैं जो इस धंधों में शामिल हैं और उससे होशियार हो जायें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि टेलिविजन और रेडियो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे न्यूजपेपर्स और मैगजीन्स ने तो इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। टेलिविजन में भी कुछ दिनों से इसपर

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

आ रहा है । कांग्रेस पार्टी ने एन० एस० यू० आई० की तरफ से एक स्पेशल सैल कायम किया है । श्री सुनील दत्त जी जो लोक सभा के मैंबर हैं वह उसके चेयरमैन हैं। वह जागृति फैला रहे हैं लोगों में कि ड्रग का मीनस कितना नुकसानदायक है । तो टेलिविजन के जरिये हम मदद ले सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ड्रग से कितनी तकलीफ होती है और उसको छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है ।...

श्री सुशील चन्द मोहन्ता (हरियाणा) : सुनील दत्त जी के लड़के को भी लिया है कि नहीं ?

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : अभी आप सुनील दत्त जी की बात कीजिए । Otherwise I will talk about you son.

मैं कहती हूं कि लाखों रुपया जो सरकार पेनल्टी के तौर पर लेती है ड्रग ट्रैफिकिंग करने वालों से, तो मैं कहना चाहती हूं कि फिन मंत्री उसको रेवन्यू कलेक्शन का जरिया न बनायें कि सरकार को आमदनी हो जाय बल्कि उस आमदनी से एक फंड बनाया जाए, ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए डिएडिक्शन सेंटर बनाये जायें। उस से उनके लिए क्लिनिक बनाए जाएं जहां वह अपना इलाज करा सकें । ड्रग की आदत वैसी ही होती है जैसा कि पोलिटिक्स की आदत डालना आसान है, लेकिन उसको छोड़ना कठिन होता है। ऐसे ही ड्रग को भी छोड़ना मुश्किल होता है । उसके सिप्टम्स को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे यहां रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं । लेकिन जो पैसा उन बदमाशों से, उन स्मगलरों से हमने लिया है, उसको सरकार अपने फंड में जमा न करके उन बदकिस्मत लोगों के लिए इस्तेमाल करे जो इस मीनेस के शिकार हो चुके हैं । इससे लाखों की जिन्दगी तबाह हो चुकी है । हम यह भी देख रहे हैं कि वैस्टर्न कंट्रीज से ऐड्स जैसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं । वह भी ड्रग्ज के साथ जुड़ गई हैं । तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस गंभीर समस्या के ऊपर ध्यान देकर शीघ्र ऐसे कदम उठाए जिससे यह बुराई देश से दूर हो सके ।

श्री सीताराम केसरी : फाइनेंस का कंट्रोल है इस पर । ...(व्यवधान)

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : यकीनन वह इसका इस्तेमाल करके जो रुपया पैनलटी के तौर पर लें उसका एक अलग फंड रिहैबिलिटेशन के लिए बनाये जिससे सेन्टर खुल । यह मैं मांग करती हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं ।

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Resolution moved by the learned lady Member, Dr. (Shrimati) Najma Heptulla. Through you, I would like to congratulate her for having traversed the entire gamut of the menace of drugs in this country and for having brought forward this resolution, particularly, the latter half which I quote:

"(ii) make institutional arrangement for the rehabilitation of drug addicts by using the revenue realised by way of penalties, seizures, etc., from offenders and drug traffickers."

Sir, I think our hon. Parliamentary Affairs Minister, Shri Kesri, did not exactly follow what she said when she wanted the Finance Minister to have some sort of a connecttion with this The entire preventive aspect of tackling drugs lies in the Ministry of Finance in the Directorate of Revenue Intelligence.

On this occasion, I must congratulate our Finance Minister that only recently, as most of us would have seen in the newspapers, his Directorate of Revenue Intelligence had the most laudable seizure of more 650 kilograms of hashish in the State of Dr. (Mrs. Heptulla), i.e., Maharashtra about 150 kilometers from Bombay. That was valued in the local market at about 8 or 9 crores of rupees In the international market, it would have fetched something like 20

crores of rupees. Sir, it is a stupendous achivement for our DRI to have made this seizure.

Sir, I am not a drug user. Nor have I ever even tried drugs despite various temptations while I was in school or college. On the contrary, Sir, I am a person who hates more than anything else the drug peddlers and drug pushers. While my sympathies go to the persons who get addicted to drugs, I am very sorry that the drug peddlers or the drug pushers in the country sometimes go scot free. I think there should be summary justice. Some hon. Members of this House may not agree with me. But I feel that one can forgive a smuggler of gold or contraband. One can, with all respect, even forgive a pimp or a thief. But I don't think anyone should ever forgive a drug peddler or drug pusher or one who is involved in drug trafficking. I think he should be shot dead. Sir, when some spoil the health and some spoil the wealth, I think the drug pusher spoils health, wealth and character. This loss of character will lead to moral degeneration and take our country backwards.

Sir, recently, there has been a study conducted by one of the organs of the UNC, the World Health Organisation. They came out with this startling fact that about 50 million are addicted drugs in the world. This is in 1983. Out of these, 30 million were addicted to Marijuana, 8 million to cocaine, 7 million to Heroin, 1.7 million to opium and other types of latest drugs or their derivatives like LSD, etc. I am not very familiar with the drug world. The persons who use drugs use all sorts of nice-sounding word. When they talk about drugs, heroine is called as smack, hashish as ash, marijuana or marihuana as grass and cocaine, which has a very popular name, is called coco. Our Indians are one better. They have got their own names for these drugs. There is one drug called Swami Ji. It gives you a very good feeling like the Swami Jis have.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): Lalpari.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: My friend, Mr. Valiullah, seems to know some of the other popular names. Sir, this is not a laughing matter because in Delhi alone a recent study has revealed that the addiction is going up. In India, Sir, as per the reports of about five years back, there were more than 100,000 drug addicts and 15,000 were joining them, particularly from the ranks of the youth. Sir, the easiest target for the drug-pushers is the school and college campuses. Recently, Sir, in Tamil Nadu, these demons, as I would call them, tried to introduce drugs through icecreams and other sweets which are sold outside the schools and colleges. And when this came to the attention of the Tamil Nadu Government, our Chief Minister, Mr. MGR immediately ordered the police that a wholesale control over these peddlers outside schools and colleges should be there, and they should be brought to book immediately. In the Central Government also, as Mrs. Heptulla said, there are various Departments which are connected. The Health Department, no doubt, is there. My hon. friend, the Deputy Health Minister is here. But the Central Welfare Department is more connected with the setting up of these welfare centres and the de-addiction centres. The Finance Ministry with the tackling of the contraband, and the other Ministries are also involved in this. But, what I would like to say, Sir, is that today the International Narcoitics Board speaks of widespread drug abuse in most parts of the world. But there is an ominous development because there is a co-relation, as Mrs. Heptulla, briefly referred to between the financing of the narcotics trade which is controlled by the international drug traffickers and smugglers syndicates and the gun-running and international terrorism. This is a new dimension, particularly in view of the latest demand for Khalistan. I must tell you that the Khalistanis have got connec-

[Shri R. Ramakrishna]

tion with Equadore which is a haven for drug smuggling in South America. And it is the Equadore Government which briefly even gave some sort of haven for the Khalistanis when they wanted to start a Government in exile. And the Indo-Pakistan border is the ideal situation where the terrorists can get the arms. The drug-traffickers take the help of the terrorists and the gun-runners and supply arms to those persons who are involved in trying to destabilise our country. And, therefore, I would very much caution the Government of India through whatever Ministry which is in charge, perhaps, the Ministry of Home Affairs here, that this nexus between the drug-traffickers and the terrorists should be closely watched so that this may not give rise to other dangerous situations. Sir, I will not go through the entire things which Dr Heptu la spoke but though there has been a drop in the use of cannabis by 3 per cent, the latest reports of the UN—the UN sponsored body on narcotics—show that cocaine use has been increasing by 11 per cent I was fortunate to represent this country in the UN along with your goodself, Sir, recently. In the Third Committee, when this matter came up, I had spoken about this and also the effective steps which the Government of India is taking particularly the Bill to which Dr. Heptulla referred which has been an Act now—the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. This is an Act of far reaching importance. And the Opium Act and the Dangerous Drugs Act have been repealed and this comprehensive law was brought, which I wanted to be referred to a Select Committee. The Minister stated that all the views which were mentioned at the time of the debate will be looked into, and with the leave of the House, I withdrew the motion for reference to a Select Committee. I must congratulate the Minister because for the first time they have come up with very deterrent punishment ranging from 10 to 20 years for the first offence and also fines ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs. Sir, even in the Indian Penal Code and other things, there has not been so far envisaged a fine of Rs. 1 lakh. But even this, I feel, is a very small amount because the international drug syndicatees have funds with them with crores of rupees. So, this fine of Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakhs will not be much. So, I suggested that whenver big drug smugglers are caught, they should be imposed huge fines plus a compulsory, mandatory term in prison. Sir, for the first time since 1973 a study has been made and it has been found that on account of the money earned by the narcotics the world over a new term, narco-dollars, has come into existence and the amount of narco-dollars which is involved in the drug trafficking exceeds $ 2 billion. Sir, this is a mind-boggling amount and the international drug syndicates which operate from all over the world, and particularly in the golden triangle and the golden crescent, for them India has become a transit point. Recently when the US Attorney-General was here and had talks with the Prime Minister, he called for the help of India to see that drug trafficking was combated. On this occasion I must denounce General Walters when he says that just because the Non-Aligned group has condemned the U.S. action on Libya, he says that the U.S. posture towards terrorism and help to India will be given some sort of a new look, as if one depended on the other. Sir, I would like to ask, through you, the U.S. Government that if the Government of India winks an eye on the Bombay and Delhi airports being used as transit points, the entire United States will degenerate within the next two or three years because it is very well known that so much of drugs is going to the United States. It is with the help of the Indian Government that we are taking all steps to see that this does not happen. This type of speaking by General Walters is highly condemnable.

We should always work together wherever there are common interests and I am sure that the Government of Shri Rajiv Gandhi will do everything to co-operate with the U.S Government in seeing that the menace of drugs is combated.

Sir, there have been increasing seizures in India. Apart from the 615 kilo huge seizure periodically we find reports in the newspapers that DRI has seized so much of hashish and so much of cocaine. I would like on this occasion to suggest to the Government that the DRI should reward the low-ranking officers and informers and others in a huge way to see that more seizures are effected. The drug peddlers and drug syndicates have huge amounts at their disposal. They try to bribe all sorts of people, particularly the persons in the lower ranks. Therefore, the DRI should not only reward their officers at the higher level but also in the lower level and the amount of rewards should be increased.

Sir, another thing which I would like to mention here is that there is no use tackling the supply side alone. The problem will not be solved by that alone. There should be a matching endeavour to see that the demand is also curtailed. This can only be done by providing education As Dr. Heptullah has said, there must be a number of seminars organised and at the school and college level the ill-effects of drugs should be introduced in the syllabus and the young minds should be shown the evil effects which drugs may possibly have on their future.

Sir, there was a nucleus body set up in the Information and Broadcasting Ministry for the Doordarshan to have a number of good films shown on the subject about the evils of drugs. This effort should be taken up seriously. Sir, in this connection, I would like to draw the attention of the Government to the report submitted by the Gopalan Committee which was set up under the aegis of the Ministry of Health and Family Welfare in 1975 . They submitted the report in 1977. Among other things one of the important suggestions made by this Gopalan Committee was that there should be a national advisory board on drugs set up by the Government of India which would periodically review the position of drug-use in India and sponsor research, publish relevant statistics and information and submit annual reports to the Government, on the status of the drug problem and also advise the Centre and the State Governments on various issues. I am very sorry to say that though some of the suggestions of the Gopalan Committee have been taken up, I do not know why this particular suggestion to set up a national advisory board on drugs has not been taken by the Government so far. I do not know, but I think that it has not been set up. I will verymuch commend on this occasion to hon. Mr. Krishna Kumar to see that this national advisory body as recommended by the Gopalan Committee is set up. This will be a useful body for the Government to act on and follow the recommendations of he various people.

Sir, coming to the question of drug de-adiction centres I will not take much of your time, the Ministry of Social Welfare as part of the recommendations of the Gopalan Committee has set up a number of study centres in five or six States in the country and they are expected to submit their report by the middle of this year. But this is not

[Shri R. Ramakrishna]

enough. They should also take the help of State Governments and as suggested by Dr Heptulla, voluntary agencies like Rotary International, Lions etc. who normally restrict themselves to building bus-shelters and community centres, should also be associated in organising de-addiction camps. No doubt Congress Party as the political party, has also done something but apart from that the Government itself should come forward with matching grants so that psychiatric rehabilitation can also be arranged for these addicts. You will be surprised to know that apart from the students community, the persons who use drugs are rickshaw pullers phut-phatiwallas and others and they are the ones who really require some psychiatric treatment because they are adults undergoing the strain of pulling rickshaws and they seek pleasure in these drugs.

Coming to drug abuse, ICMR undertook a study which shows that this is on the increase; nearly 35 per cent of college students in Delhi are using these drugs. In Bombay also, from where Dr. Heptulla comes in the areas of Bandra and Colaba the number of such cases is going up. Government should be careful to locate areas in which this abuse is on the increase and take positive action. Government has an obligation to see that something is done for the addicts and rehabilitation aspect is very necessry. This drug menace is something which if not attended to now, can ruin our entire country. With these words, I support the resolution with a further call to the Government to see that this nexus between drug-traffickers and terrorists is closely watched.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम पूरे देश की जनता की तरफ से डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसे सवाल को सदन के सामने लाया है कि यह सभा सिफारिश करती है कि सरकार को नशीले पदार्थों और स्वापकों से फैल रहे संकट का, जिससे राष्ट्र का विशेषकर युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है, प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कदम उठाने चाहिए और अपराधियों और नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों से शास्तियों, जब्त माल आदि के रूप में वसूल किये गये राजस्व का उपयोग करके नशीले पदार्थों के व्यसनी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संस्थागत प्रबन्ध करना चाहिए ।

आदरणीय उपसभापति महोदय यह एक ऐसा सवाल डा० नाजमा हेपतुल्ला ने उठाया है इतना बड़ा सवाल इस देश के दोनों सदनों में मैं समझता हूं कि इस सत्र में कोई नहीं उठाया गया है । इसका पूरे देश की आजादी से रिश्ता है पूरे देश की नयी पीढ़ी के नष्ट हो जाने का खतरा हिन्दुस्तान में व्यापक पैमाने पर उपस्थित हो गया है । हिन्दुस्तान में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों का इतना व्यापक उपयोग इस समय हो रहा है कि हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों से ले कर दिल्ली, बम्बई तक यह एक संक्रामक रोग की तरह से, हैजे की तरह से फैल रहा है । अगर भारत सरकार ने और आल इण्डिया कांग्रेस पार्टी, हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने इसको एक राष्ट्रीय रूप दे कर इस सवाल के खिलाफ, जदोजहद नहीं किया और लोक शक्ति और जन शक्ति के माध्यम से पूरे देश में जनजागरण नहीं किया तो पूरे हिन्दुस्तान के नष्ट होने का भारी खतरा देश के सामने उपस्थित हो गया है । दुनिया में विकसित और विकासशील देशों में मादक द्रव्यों का इस्तेमाल विकासशील देशों में और भी ज्यादा व्यापक पैमाने पर हो रहा है और दुनिया में एशिया इसमें सब से आगे है । एशिया के देश इसमें आगे हैं, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल करने के संबंध में या नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में या नशीले पदार्थों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करने के संबंध में । यह साम्राज्यवादी देशों का एक महान

षडयंत्र है विकासशील देशों को नष्ट करने का, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश हमें मालूम होती है उन साम्राज्यवादी राष्ट्रों की जो विकासशील देशों को नष्ट करना चाहते हैं या विकासशील देशों के नेता हिंदुस्तान को नष्ट करना चाहते हैं। जो आतंकवादी आज पंजाब में उपद्रव मचाये हुए हैं एक इन्टरनेशनल स्टडी के मुताबिक ड्रग का इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे किसी दूसरे की जान लेने या अपनी जान खत्म करने में कोई मोह नहीं होता है, किसी को गोली मार देना या अपने को गोली मार देने में उन्हें कोई मोह नहीं होता, आत्महत्या करने या दूसरे किसी को गोली मार देने में उन्हें कोई मोह नहीं होता। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनमें से 90 प्रतिशत ड्रग एडिक्ट्स हैं। इनमें करीब करीब सौ प्रतिशत ही वे हैं जो अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन और हशीश का इस्तेमाल करते हैं। इनको खालिस्तान का नारा देकर ट्रेनिंग दे करके एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भेजा जाता है। इनके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। इससे आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। डा० नाजमा हैपतुल्ला जी आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में ड्रग का इस्तेमाल बढ़ रहा है या बम्बई, मद्रास या कलकत्ता में बढ़ रहा है या महानगरों में बढ़ रहा है ऐसी बात नहीं है इस ड्रग का इस्तेमाल तो गांवों के स्तर पर भी होने लगा है। पिछले सत्र के बाद मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दौरा करने का मौका मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस जिले में मैं गया उस जिले के अंदर गांजा, चरस, हेरोइन, हशीश के इस्तेमाल की बात हमने सुनी। लड़के इसको इस्तेमाल करके बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इनका नशा ऐसा है कि जो एक बार इनका इस्तेमाल कर लेगा तो इसके लिए और भी चाह बढ़ेगी, बैचैनी बढ़ेगी और बिना इसके वह जिन्दा नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक अफीम का कारखाना है। उस कारखाने में अफीम को कुछ परिष्कृत करके हेरोइन और हशीश बनाया जा रहा है। आज इस काम में तस्कर बहुत सक्रिय हो गये हैं। जो हेरोइन हमारे यहां एक लाख रुपये में बिकती है उसी का दाम अमेरिका बाजार में 10 लाख रुपये है तथा दुनिया के अन्य बाजारों में 25 लाख रुपये है। अतः जो इस तरह के अपराधी हैं वे तस्करी के व्यापार को बहुत व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस पूरी तस्करी में पुलिस, तथाकथित बड़े आदमी गुंडे और बेकार नौजवान इन तीनों का एक त्रिकोण बना हुआ है। तस्करी के इस काम को कराने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से कि कोई इसके खिलाफ कानून बनाया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कितने इस तरह का धंधा करने वाले लोग पकड़े गये हैं। पिछले एक साल में कितने लोगों को सजा हुई, इसके खिलाफ कितना व्यापक जनसम्पर्क किया गया ? जो बिल बना है उसके माध्यम से तस्कर कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं वे छोटे-छोटे बेकार नौजवानों के माध्यम से या बधुआ मजदूरों के माध्यम से इस तस्कर व्यापार को करा रहे हैं। इस तस्करी के व्यापार को करवा रहे हैं और जब तक सरकार उनको पकड़ नहीं सकती, उनके हाथ बड़े लम्बे हैं।

आदरणीय उपसभापति जी, इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस ड्रग एडिक्शन के सवाल पर, पूरे हिन्दुस्तान के राजनीतिक दलों का—विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का और सत्तारूढ़ दल की एक गोलमेज कांफ्रेंस बुलानी चाहिये और जो हिंदुस्तान आज गांजा, अफीम, हशीश, हेरोइन के तस्करी व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बनता जा रहा है, उस सवाल पर एक, दो दिन नहीं पूरे तीन दिन बैठ कर बहस करवानी चाहिये और इस रोग से मुक्ति पाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें और ऐसे कानून बनाने चाहियें जिससे कि भारत की नई पीढ़ी को नष्ट होने से बचाया जा सके।

आदरणीय महोदय, देश की नई पीढ़ी के सामने भारी खतरा है, पूरे देश की आजादी के नष्ट हो जाने का खतरा उपस्थित

[श्री कल्पनाथ राय]

हो गया है और जितनी बड़ी ड्रग एडिक्शन की बीमारी है पूरे देश में, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा यह रोग किस सीमा तक देश में फैल गया है। जिस अनुपात में हम सोच रहे हैं, उससे कई हजार गुना ज्यादा यह बीमारी पूरे राष्ट्र के अन्दर संक्रामक रोग का रूप धारण कर चुकी है।

महोदय, बाड़मेर सीमा पर सुरक्षाबल के जवानों ने साढ़े सोलह करोड़ रुपये मूल्य की 329 किलो हीरोइन पकड़ी जो देश के मादक पदार्थों के इतिहास में सबसे बड़ी पकड़ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि भारत-पाक सीमा पर और विशेषतः राजस्थान सीमा पर तस्करी की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अनुमान है कि यह हेरोइन अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुये भारत के मार्ग से विदेशों को भेजी जाने के लिये थी। भारत में भी मादक पदार्थों की खपत होती है, पर उसकी मात्रा अभी कम है। बताया जाता है कि भारत हेरोइन एवं मादक पदार्थों की तस्करी का मुख्य मार्ग बन गया है जिसके एक ओर ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तथा दूसरी ओर बर्मा, लाओस व थाईलैंड हैं। पाक-पंजाब सीमा पर निगरानी कड़ी होने के कारण राजस्थान व गुजरात की सीमाओं पर तस्करी व्यापक पैमाने पर हो रही है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एम० पी० कौशिक) पीठासीन हुए]

तस्करों और विशेषतः हेरोइन एवं मादक दवाओं के धंधे में भारी मुनाफा होता है। भारत में जो हेरोइन कुछ हजारों में मिलती है विदेशों में कई गुणा अधिक में बिकती है। भारत में हेरोइन की तस्करी में इसी कारण भारी विस्तार हुआ है। इसका दूसरा कारण सीमाओं पर इस धंधे की रोकथाम के ठोस उपाय एवं व्यवस्थाओं की कमी भी रही। लेकिन पंजाब में आतंकवाद के कारण सीमाओं पर अधिक सतर्कता बनी और इस कारण सीमा पर तस्करी भी पकड़ में आने लगी है। सन् 1983 के पूर्व सीमा तस्करी में हेरोइन नहीं होती थी। सन् 1984 में भारत-पाक सीमा पर 81 किलो और इस वर्ष जून माह तक 15 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। अतः गत सप्ताह 329 किलो हेरोइन की पकड़ बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है। इस पकड़ के लिये सीमा सुरक्षा के जवानों ने सतर्कता व सक्रियता दिखाई। तस्करों का मीलों तक पीछा किया और उन्हें घेर कर मोर्चा लिया।

यह घटना बताती है कि राजस्थान की सीमाओं पर तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इनकी रोकथाम की यथेष्ट व्यवस्थायें रहनी चाहियें। सीमाओं पर सुरक्षा बल है पर सीमावर्ती भागों में पुलिस एवं प्रशासन की सतत सावधानी रहनी चाहिये। एक कमी यह भी है कि तस्करी की रोकथाम के लिये कोई एक ठोस व्यवस्था नहीं है। अतः यह काम केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है जिनके बीच आपसी समन्वय के अभाव तथा उपयुक्त साधनों की कमी रहती है। इसके साथ ही तस्करी होने और तस्करों को काम करने का मौका मिलता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में आज ड्रग एडिक्शन कालेजों, स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों तक में फैल रहा है और आज मुझे आजादी की लड़ाई का इतिहास पुनः याद करने की जरूरत पड़ती है। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी के माध्यम से शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करवाई थी और सारे राष्ट्र में प्रोहिबीशन का नारा दिया था। 1947 में आजादी के मिलने तक महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लोक-शक्ति और जन-शक्ति का जागरण करके पूरे हिन्दुस्तान के माध्यम से नशीली शराब के बहिष्कार का एक व्यापक संघर्ष देश में किया था। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी राजमाता हेपतुल्ला जी से कहना चाहता हूं कि यह सवाल आल इंडिया कांग्रेस पार्टी में लेने का सवाल है। यह सवाल ब्लाक कांग्रेस से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक का है और मैं देश के नए प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन को पूरे राष्ट्र के पैमाने पर लागू करने के संबंध में उन्हें विचार करना होगा। यह जनशक्ति और लोकशक्ति के जागरण के माध्यम से जुड़ा हुआ सवाल है। आज

रूस के जनरल सैक्रटरी गोरबाचोव द्वारा सब से पहला काम प्रधान मंत्री बनने के बाद पूरे रूस के अन्दर इस समय शराब के इस्तेमाल पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पिछले एक-दो वर्ष के अन्दर रूस के प्रधान मंत्री ने वहां जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल शराब का इस्तेमाल, मादक पदार्थों का इस्तमाल रूस में कम किया जाए। इसके लिये युद्ध स्तर पर काम किया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान विकासशील देशों का नेता है। आज हिंदुस्तान चाहे वह साम्राज्यवादी षड़यन्त्र के कारण हो या उपनिवेशवादी षड़यंत्र के कारण हो या फिर जिन कारणों से भी हो आज वह एडिक्शन, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, हशीश के आने-जाने का एक अड्डा बनता जा रहा है और आज पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान की सीमा पर दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है और थाईलैंड, बर्मा, लाओस, बांग्ला-देश की सीमा पर भी इसका व्यापक पैमाने पर तस्करी का व्यापार हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह चीज केवल बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि यह बीमारी हिंदुस्तान के गांवों तक भी फैल रही है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इसके लिये जनशक्ति और लोकशक्ति, पूरे राष्ट्र के अन्दर एक अभियान छेड़ा जाना चाहिये। इस काम को केवल सरकार ही नहीं कर सकती है, सरकार कानून बना देगी और वह तो बना है और मैं पूछना चाहता हूं कि कानून बनाने के बाद सरकार ने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कितनों को सजा दी गई है? आज बड़े बड़े कुख्यात तस्कर पुलिस को अपनी पाकेट में रखते हैं। इनको कुचलना पोलिटिकल विल पावर के माध्यम से ही सम्भव हो सकता है। आज वे अरबपति और खरबपति हैं। आज वे अपने हाथों में गवर्नमेंट को चलाते हैं, आज ऐसी इनकी हालत हो गई है। क्या हो रहा है? 20 जगह स्मगलिंग हुई और पुलिस ने दो को पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को खाना पूर्ति करनी है। इतने व्यापक पैमाने पर यह व्यापार हो रहा है। पुलिस क्या करती है? 20 तस्कर के व्यापारी हैं और वे स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन तीन आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया तो अखबारों में छप गया कि पुलिस बड़ा काम कर रही है। पुलिस अगर चाहे तो एक भी स्मगलर जिन्दा नहीं रह सकता है। इसलिये सरकार को इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी होगी। पुलिस की अगर पूरी विजिलैंस हो तो सभी स्मगलर पकड़े जा सकते हैं। आज बड़े-बड़े तस्कर हाजी मस्तान से लेकर यूसुफ पटेल जैसे बड़े नामी स्मगलर आज हिंदुस्तान में हैं। आज तस्करों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वे पार्टी बनाने लगे हैं। धर्म और जातियों के ठेकेदार बनने लगे हैं। जहां वे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देने के लायक हैं वहां इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये पार्टियां बनाने लगे हैं और प्रदेश की सरकारों पर कब्जा करने के सपने देखने लगे हैं। आज तस्करों का कितना मन और बल बढ़ गया है हिन्दुस्तान के अन्दर कि तथाकथित बड़े आदमी, the so called big people plus the goondas, in connivance with unemployed youth

जो नौजवान बेकार हैं, आज करोड़ों, लाखों लोग, इस तस्करी के धंधे में लगे हुये हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल पड़ता है। नेपाल में 100-100, 200-200 मजदूरों को सीधे नेपाल से देवरिया के भटनी रेलवे स्टेशन होते हुये सरयू नदी पार करके ये गांजा ढुलवाते हैं, तस्कर खुद पीछे होते हैं और जो लोग भूखे, गरीब, मजदूर होते हैं, उनके माध्यम से गांजा ढुलवाते हैं। वे पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी हो जाती है, छह छह महीने, आठ आठ महीने, साल साल भर की और जो बड़े बड़े तस्कर हैं, वे उनको खर्चा देते हैं, लेकिन खुद कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं। जो बड़े बड़े तस्कर हैं, गांजे के तस्कर हैं, जो अफीम के तस्कर हैं, जो हशीश के तस्कर हैं, ये सब के सब, इनके इंटरनेशनल गैंग हैं। इनके पास अरबों खरबों रुपये हैं और अपने रुपये की ताकत से वे नौकरशाही को अपने पैसे के बल पर खरीद कर तस्करी का व्यापार करते हैं।

[श्री कल्पनाथ राय]

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने की स्मगलिंग होती थी, चांदी की होती थी, आज सोने चांदी को स्मगलिंग के स्थान पर अफीम, चरस, हीरोइन, हशीश की स्मगलिंग होती है और इसका जोर भी बढ़ता गया है क्योंकि पांच किलो की कीमत पांच करोड़ रुपये के लगभग होती है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अफीम, चरस, हीरोइन और स्मैक एक ही जहर के कई जाने पहचाने नाम हैं। यह वही जहर है, जिसने बड़ी तेजी से देश की युवा पीढ़ी को अपने शिकन्जे में कस लिया है। यह नशीले पदार्थ किस तरह हमारी सरहदों में दाखिल हुये और किस तरह देखते देखते एक लम्बी चौड़ी आबादी की रगों में फैल गये हैं। इन जहरीली चीजों ने किस तरह से एक देश से दूसरे देश की सीमाएं लांघ दी और हमारे अपने समाज के कई जिम्मेदार वर्गों ने इस जहर को फलने फूलने में मदद दी और किस तरह एक मामूली सी बुराई ने एक विशालता का रूप धारण कर लिया है.. (**समय की घंटी**) ..

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट का और मौका दीजिए। यह एक ऐसा सवाल है, जिसके लिये मैं पूरे देश की 70 करोड़ जनता की तरफ से डा० नाजमा हेपतुल्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हमारे दिमाग में भी प्रश्न था और मैं भी प्रस्ताव लाने की कोशिश में था। लेकिन यह सवाल ऐसा सवाल नहीं है कि इसमें केवल एक दल के लोगों को इन्वोल्व किया जाए बल्कि पूरे देश में युद्ध स्तर पर, राष्ट्रीय पैमाने पर जनशक्ति को, राष्ट्र की लोक शक्ति को जगाने का काम है और इसमें देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और सरकारी पार्टी के लोगों की गोलमेज कांफ्रेंस करके बैठ कर के इस सवाल पर विचार करना चाहिये, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने नीति के सवाल पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई और सारे राष्ट्र की ओपिनियन को समझने की कोशिश की। वैसे ही ड्रग-एडिक्शन के सवाल पर, नशीले पदार्थों के सवाल पर और आज हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है, उसके सवाल पर विचार करने के लिए हमें यहां पर गोलमेज कांफ्रेंस सभी राजनीतिक दलों की करनी चाहिये और सारे लोगों की राय से सख्त कानून इस देश की संसद् द्वारा बनाया जाना चाहिये कि ऐसे कामों में लिप्त लोगों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिये, मिनिमम दे मस्ट बी हेंग्ड। अगर पूरे देश की नयी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी तो हिंदुस्तान की आजादी क्या बच सकती है? देश की नयी पीढ़ी इसड्रग के इस्तेमाल से नष्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा? आज मार्डन स्कूलों में, दिल्ली के सभ्य समाज के पढ़ने वाले बच्चों के बीच में, कालेजों में इन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल चाकलेट, आइसक्रीम और अन्य खाने वाली चीजों के माध्यम से फैलाया जा रहा है (**समय की घंटी**)...

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो सरकार अफीम की खेती कराती है। सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के माध्यम से ही अफीम की खेती आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हो रही है। जितनी भी अफीम पैदा होती है उस पूरी अफीम को सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ताकि जो अफीम की तस्करी होती है उसको रोका जा सके।

आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि चाहे बांग्ला देश की सीमा हो, चाहे बर्मा की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, पुलिस की मिली भगत से जो तस्कर और आतंकवादी करोड़ों रुपए की स्मगलिंग का धन्धा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिएं। पुलिस, तस्कर और गुंडों की मिली भगत के रिश्ते को तोड़ने का यही एक तरीका है कि ऐसे कठोर कानून बनाने चाहिएं जिनमें ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा मिनिमम सजा हो और दस बीस पचास आदमियों को फांसी पर लटका दिया जाय। उसके साथ-साथ राष्ट्र के पैमाने पर इस बुराई के विरुद्ध जनशक्ति और लोकशक्ति को जगाना चाहिए। आजादी की लड़ाई के पहले गांधी जी ने शराबबन्दी के लिए पूरे

राष्ट्र में व्यापक जन आन्दोलन चलाया था। आज हमारी पार्टी को उस जिम्मेदारी को निभाना है। जब तक पार्टी के माध्यम से, लोक शक्ति के माध्यम से, जनशक्ति के माध्यम से इस रोग का मुकाबला नहीं किया जाएगा हम कभी भी अपने देश की नई पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे और देश की नई पीढ़ी नहीं बचेगी तो आजादी की रक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ हम डा० हेपतुल्ला के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): I thought of participating in the debate on this Resolution because to my mind this Resolution brings to light a vexed question in our public life today. The Resolution speaks of drugs and narcotics which are degenerating the nation and especially the younger generation.

Hon. Speakers who have already participated in this debate have said that it is well-known that certain drugs like LSD, the chemical name of which is; lysergic acid diethplamide, opium alkaloids Cocaine, Morphine cannabis indica and cannabis sativa are available in the market and are sold surreptitiously by corrupt dealers without any prescriptions or cash memos. It is difficult to believe that the police is not aware of these activities but hardly any action is taken to prevent them. I am indeed a bit surprised that the hon. Deputy Minister for Health is present here to reply to this debate. The debate concerns other departments much more than the Health Department, because the Health Department should be already aware of the injurious effects of these narcotics and drugs. They are even used in toffees and in drinks to create a euphoric effect on the consumers and people of all ages, particularly the students get addicted to these drugs and narcotics. We have all seen perhaps the consumption of cannabis indica and cannabis sativa in public places like burning ghats etc., before the eyes of police constables, but no action was taken. The drug addicts do not realise that they are gradually ruining their health their brains and memories. They even suffer from hallucinations and tendencies to murder. There are also cases of self-medication by injection of morphine to avoid stress and strain and also nervousness to act as a stimulant. We had an Opium Act and now we have a Drugs and Narcotics Act. The provisions were praised by our esteemed friend Mr. Ramakrishnan. But it seems to me that the recent enactment calls for a fresh look to combat the menace which is now prevailing in this country. Sources of plantation and production have to be strictly guarded to prevent easy sale of these products to members of the public and stringent measures have to be adopted against dispensing chemists—some of them well-known who commit the offences of selling these drugs and narcotics without prescriptors. without recording the names of physicians who have prescribed them and without any cash memos. About the new enactment fortunately only last evening I received by post a Journal called "Pharma trade" published by the All India Organisation of Chemists and Druggists Educational Trust. Its April issue contains an editorial and that editorial seems to me to be relevant to the subject under discussion. Renowned pharmacists and chemists are complaining that this new enactment is being implemented to harass persons who are perhaps comitting minor and technical offences, but the real culprits are going scotfree. Of course, I do not subscribe to the theory that even those who commit

[Shri Sankar Prasad Mitra]

minor or technical offences should escape. But the fact that this organisation is pointing out that the real culprits are not being caught by the Directorate concerned is indeed painful to us. Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission it is a very short editorial consisting of just a few lines let me read it to this House so that the present position under the law and the deficiencies in its implementation can be brought out clearly in the discussions on this Resolution. The editorial says, I quote:

> The requirements under the Packaged Commodities Rules and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and Rules are only the latest burdens added to the load the pharmaceutical trade is already bearing.
>
> The punishments for offences under the Narcotics Act are very severe. Laws are made with good intentions, no doubt but what is happening is the honest trader is harassed by those laws, while the real offender carries on with his nefarious activities happily and rarely comes to be booked. Purpose of legislation is never served!
>
> It is not far from truth if it is said that the inspectorate does little to catch the real culprits, and unfortunately they spend all their time and energy to book the innocent trade and industry who if any would have committed only a technical fault or otherwise unintentionally and unwittingly.
>
> Even the latest law, that is the Narcotics Act, does not make such a distinction. As a result of such non-distinction the licensed dealer/manufacture who has taken to this vocation becomes liable even for a slight error for a jail term of 10 years or fine of one lakh of rupees, as the real culprit eludes the authorities and escapes the law and punishment.
>
> Therefore, it is necessary that law should make such distinction, and does not place minor offences on par with the major and technical on par with the intentional, and the severe punishment is made be applicable only to the offender in the real sense, and not to the one who, in the course of his profession had committed a technical and minor fault.
>
> Further the inspectorate's concern should be to book the real offenders who are mostly the unlicenced ones and not to, in the name of law, harass the bonafide licence holders."

As I have said in the beginning, I do not see jurisprudentially why persons committing technical and minor faults should not be punished? They should be punished. They ought to be punished. But it is indeed a pity that this editorial has to come out with main point, namely, that the inspectorate is weak; the inspectorate perhaps is corrupt and the inspectorate is not doing the duty assigned to it and the real culprits, due to sheer negligence or corruption of the inspectorate, whatever it may be, are escaping daily with the result that the entire society is suffering. That is why, I was stating in the beginning that it is unfortunate that only the hon'ble Deputy Minister for Health and Family Welfare is present here to listen to this debate. This debate really concerns other departments of the Government particularly, the Finance department and the department of Social Welfare as well as the Ministry of Law and Justice because

I do recommend that the new Act which was passed only last year still contains numerous loopholes to be plugged. The Government rejected the demand for reference to a Select Committee. Perhaps these loopholes could have been plugged by the select Committee. But by getting the Act passed hurriedly, with good intions no doubt, with bona fide intentions no doubt, these loopholes have been left untouched.

The second part of the Resolution is as important as the first one, namely, that the Social Welfare Department and the Health Department should take upon themselves the task of seeing that institutions are set up, particularly in notorious urban areas, for hospitalisation of these addicts so that they may be cured of the illness they suffer from, because to start with, they get addicted and the addiction leads to a serious illness injuring health, injuring the entire future of the person concerned and endangering the society at large. I hope the Government will take active measures to combat these evils as quickly as possible. Thank you.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा० नाजमा हेपतुल्ला जी ने इस सदन के सामने पेश किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने न सिर्फ इस सदन का बल्कि सारे देश का ध्यान खतरनाक जहरीली और नशीली चीजों की तरफ दिलाया है। क्योंकि वह सरकारी पार्टी की एक महासचिव हैं मैं समझता हूं कि उनका जो यह प्रस्ताव है जिसकी ओर सदन का ही नहीं सारे देश का ध्यान खींचा गया है सरकार इस तरफ ध्यान देगी और इस प्रस्ताव को मंजूर करने में पीछे नहीं हटेगी। जैसा कि इस प्रस्ताव के जरिये महोदया ने बताया कि इन जहरीली चीजों से, इन नशीली चीजें, जो विदेशों से स्मगल्ड हो कर आती हैं इससे न सिर्फ समाज बल्कि सारा देश कमजोर बन रहा है और यह न सिर्फ नौजवानों में फैल रही हैं बल्कि बच्चों में भी यह चीज फैल रही है। यह बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं गांवों तक भी यह चीज फैल गई है यह जो प्रस्तावक महोदया ने बताया यह बिल्कुल सही बताया। सरकार को चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो कुछ भी कदम उठाये जा सकते हैं, उठाये जाने चाहिएं। यह कहा गया कि अगस्त, 1985 में एक कानून इन चीजों को रोकने के लिए लाया गया था लेकिन तब भी ये चीजें रुकीं नहीं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। बड़ी तादाद में विदेशों से और खासकर पाकिस्तान की सरहद से, राजस्थान की सरहद से ये नशीली चीजें, नारकोटिक्स चीजें, हशीश और दूसरी चीजें स्मगल्ड हो कर आ रही हैं, करोड़ों रुपये की ये चीजें यहां बिक रही हैं। मैं समझता हूं अगस्त, 1985 में कानून पास होने के बाद कोई आदमी इस बारे में पकड़ा नहीं गया। अगर कोई पकड़ा गया, किसी को सजा भी मिली तो वह मामूली है, बहुत ही कम है। जैसा कि और सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की कि हजारों की तादाद में करोड़ों की तादाद में इन चीजों की बिक्री होती है, इन चीजों का व्यापार होता है लेकिन वे पकड़े नहीं जाते। जिन एक दो को पकड़ा भी गया और सजा भी मिली उनको जेल में रख दिया गया और अब व्यापार जेलों में भी होता पाया गया है। तिहाड जेल की ही बात ले लीजिए। इस जेल में चार्ल्स शोभराज के पकड़े जाने के बाद और फिर भाग जाने के बाद कई चीज सामने आई हैं। यह पता लगा है कि बड़ी तादाद में जेलों में ये नशीली चीजें पहुंचाई जाती हैं, वहां बिकती हैं। हजारों, लाखों की कीमत के तादाद में ये चीजें बिकती हैं। इसमें न जो सजायाफ्ता हैं वे ही शामिल हैं बल्कि जो जेल अधिकारी हैं, पुलिस आफिसर हैं। जो इसको रोकने वाले हैं वे भी इसमें शामिल हैं। इस मामले का सबंध

4 P.M. स्वास्थ्य मंत्रालय से है, और गृह मंत्रालय से भी इसका संबंध है। किन्तु हमारे गृह मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से ये नशीली चीजें जेलों में भी पहुंच जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को उन तमाम चीजों के संबंध में ध्यान

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

देना चाहिए जिनका संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय से है । लेकिन इसके साथ ही मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो कानून इस विषय पर बनाये गये हैं, जो कानून सन 1985 में बना था और उसके पहले जो गांजे अफीम के बारे में कानून थे, उन सब कानूनों के रहते हुए भी आप इन नर्शले पदार्थों के चलन को रोकने में कहां तक सफल हुए हैं ? अभी हालत यह है कि हम जो कानून बनाते हैं उस पर ठीक प्रकार से अमल नहीं होता है । जैसा अभी श्री कल्पनाथ राय ने कहा कि आजादी के आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने शराब बंदी और नशाबंदी को अपने आन्दोलन का एक हिस्सा बना दिया था । उस जमाने में हर आदमी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, इस आन्दोलन में शामिल होना अपना फर्ज समझता था और इसमें अपना सहयोग देता था । लेकिन आज हमें आजाद हुए 38 साल हो गये हैं, हम अभी तक शराब बंदी नहीं करा पाये है । जनता सरकार ने गुजरात में शराबबंदी कराई थी लेकिन दूसरे राज्यों में नहीं करा पाये हैं । सरकार जानती है कि नशीली चीजों से काफी नुकसान होते है । गांजा, अफीम, हिरोइन आदि जितने भी नारकोटिक्स हैं उनके संबंध में बनाये गए कानून का सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए । एक तरफ तो आप नशीली दवाओं के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शराबबंदी नहीं करते हैं तो उन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि शराब के लिए आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं ? इसलिए जरुरत इस बात की है कि शराब बंदी भी की जानी चाहिए ।

अब मैं कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अभी जो कानून हमारे पास हैं उनके तहत हमें इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और उनको सख्त सजा देनी चाहिए । मैं जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जो इन नशीली चीजों का व्यापार करते है और जो अधिकारी और पुलिस अधिकारी इन चीजों को रोकने में नाकामयाब रहते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं, उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जानी चाहिए । उन अधिकारियों को भी उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से इन अपराधियों को मिलती है । इस प्रस्ताव का जो दूसरा भाग है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है । जो भी व्यक्ति नशीली वस्तुओं का आदी हो जाता है उसको सुधारने के लिए एक नेशनल कौंसिल बनाई जानी चाहिए ताकि उन लोगों का ठीक प्रकार से इलाज हो सके और उनका सुधार हो सके । मैं फिर श्रीमती (डा०) नाजमा हेपतुल्ला जी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि वे इस सदन के सामने और देश के सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लाई है । वे कांग्रेस की महासचिव हैं । उनकी ही सरकार केन्द्र में है । मैं चाहूंगा कि वे अपनी बात केन्द्रीय सरकार से मनवाये और यह भी प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है इसको स्वीकार करायें ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : श्रीमन्, मैं देख रही हूं कि इस विषय पर काफी बोलने वाले स्पीकर्स हैं । चूंकि इसके बाद के फ्राइडे को हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसलिए आज 5 बजे तक हम इसको खत्म कर दें तो ठीक रहेगा । मंत्री जी भी इसमें बोलना चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से मंत्री जी इस विषय पर बोलें । तो मेरी अपने स्पीकर्स से यह रेक्वेस्ट है कि वे कम से कम समय लें ...(व्यवधान)....

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अगले सेशन में हो जायेगा ।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : कायदे के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से नहीं होगा । बिल होता तो दूसरे सेशन में हो सकता था, रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है, वह लैप्स हो जायेगा । अगर मंत्री जी जवाब न दे पायेंगे तो फिर हम सब का यहां पर बोलने से क्या फायदा होगा । अतः मेरा निवेदन है, मेरी रेक्वेस्ट है कि मेम्बर्स कृपा करके संक्षेप में बोलें ।

उपाध्यक्ष (श्री एम० पी० कौशिक): पांच-पांच मिनट का समय देंगे ।

Now, Mr. Pawan Kumar Bansal.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Sir, at the very outset, I thank Dr. Najma Heptulla for bringing into focus the enormity of the problem of drug addiction which, as she rightly said, saps the vitality of the society. According to a recent survey, the number of drug addicts in Bombay was found to be eighty thousand and in Delhi, fifty thousands. Unfortunately, certain undesirable features of the Western society are catching the fancy of our youth and the drug shyndrome seems to have been considered as a concomitant aspect of development or advancement. In India particularly in that part of the country from which I come, that is Punjab, there was abundence of milk and honey. But, unfortunately, even in the rural areas, besides the students, others are falling a prey to drug addiction. If we try to analyse the causes which, in fact, allure the students to drugs, we would see that firstly it is only curiosity. Thereafter it becomes a fashion with the students to go in for drugs and a stage comes when people resort to it for merely escaping from the realities of the world or from the realities of life. Another very important factor which leads to drug addition is social maladjustment. We have seen that the child labourers who do not get an opportunity to go to schools, but who are straight away huddled into factories where there are no recreational facilities for them, also take to drugs. Such tender aged children take to drugs and the result we are all aware of. The drug addicts, instead of being persons with robust health, are young people with sullen faces, with damaged brain and are often victims of hallucination. The children or the young are the future of our country. But if we look at the pethetic state of affairs of the drug addicts, it is, in fact, frightening to imagine as to what the future of the country would be when these people grow up and I am sorry to say that they grow old at a very young age and at the age of 35 they look very old and would leave this world at an age much younger than that of a person who is not a drug addict.

In a welfare society such as ours, it is the endeavour of the Government to provide a decent standard of living to every citizen (*Time bell rings*) In this context, I would refer, because of the time-limit imposed on me, only to one aspect and that is the control over dependence producing drugs and spreading of drug eddiction and my suggestion in this regard is that any number of stringent laws would not be of any help though it is imperative that the smugglers, the drug pedlars and the drug pushers must be dealth with sternly. But it is more a social problem that we have to tackle. And for that it is the assistance of voluntary organisations that has to be sought. More counselling centres have to be set up where there should be a complete record of drug addicts and it is there, besides the hospitals, where drug de-addiction should be considered as a part of the general health services. These centres run by the voluntary agencies should be keenly involved.

Finally, I would like to refer to what Dr. Najma Heptulla said about the role of the media campaign. I would like to strike a note of caution here that over-zealousness on the part of the media would note really help combat drug addiction. Rather it has to be a selective and imaginative publicity that would really help us attain the desired results. Sir, an awareness has to be created amongst the youth of the dangers of drug addiction, of the dangerous consequences that it could have for the country and for the society and it is with the involvement of volunteers

[Shri Pawan Kumar Bansal]

agencies, the parents, the educationists and people of every strata from the society that we can ultimately deal with this problem.

Sir, to conclude, I would once again express my gratitude to the very senior Member of this House, Dr. Najma Heptulla, who has drawn pointed attention of all of us to this problem, and I am sure the various Ministries concerned would look at the problem with its gravity and ultimately help in combating it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Hon. Members are requested to take not more than five minutes so that each one of them gets a chance to express his views. Shri Jagdambi Prasad Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अंत में बोलने वाले की दुर्दशा यह भी होती है कि समय की पाबंदी का असर उसी के ऊपर पड़ता है यद्यपि मैं नहीं समझता कि इसमें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है। अगर समय कम हो जाए तो हमारे दो प्रस्तावक आशा देखकर ले कर के चले गये है। जितना गम्भीर विषय है मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको गम्भीरता से लेना नहीं चाहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल से जुड़ी हुई 750 मील लम्बी भारत नेपाल सीमा 20 वर्षों से तस्करी का राजपथ बना हुआ है। अगर मैं इसका विस्तृत वर्णन करने लगूं कि कौन कौन से स्थान है तो शायद समय की सीमा का सवाल फिर सामने आ जाता है। लेकिन यह चीज समग्र खुलने वाली है और जब विचार होता है तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय का भी पूरा पार्ट है और इससे हमारे वित्त के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हमारे चरित्र और स्वास्थ्य और प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की डेढ़ हजार किलोमीटर लम्बी सीमा आजकल तस्करी का अखाड़ा बनी हुई है। यह सीमाएं ऐसी है जिस पर लगता है कि यहां पर प्रशासन की पकड़ नहीं है बल्कि पकड़ तस्करों की है। तस्कर आज अपने पैसे के बल से फायनेंस के बल पर जितनी चाहें तस्करी कर लें कोई रोकने वाला नहीं है। मैं एक गांव के बारे में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं गांव से आता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ड्रग एडिक्शन वाली चीज धीरे धीरे गांवों में कैसे जा रही है। इस चीज को मैं आपके समाने रखना चाहता हूं। दिल्ली के बगल में सोनीपत में एक नाहरी गाँव है वहां पर एक चाय-पान की दुकान है। उस दुकान पर स्मैक जो हीरोइन से बनता है बिक्री होता है यह इतनी खतरनाक चीज है यदि इसका सेवन 6 वर्ष तक हो जाए तो आदमी की जान जा सकती है। दिल्ली से 12 सौ रुपये में जाता है, वहां तीन हजार रुपये में बिकता है। 15–20 आदमी उस गांव में इसको बेचने वाले हैं। 15–25 वर्ष युवकों में बड़ा लोकप्रिय है। यह स्मैक की करामत है और साथ ही गांव में एक्स मिलिटरी मैन भी है उनकी छावनी से शराब सस्ती दर में मिलता है। उनको यह ले आते हैं। गांवों मे पहले चरस, अफीम, गांजा चलता था स्मैक नहीं चलता था अब वहां ये सब चीजें पहुंच गयीं हैं। अभी दिल्ली के गांव में पहुंची है बाद मे देश के अन्य गांवों में भी पहुंचेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी का देश है जिन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ, चूंकि दवा की दास्तां, नशीले पदार्थों की दास्तां हो यह भी आदमी की एक गुलामी से दूसरी गुलामी को कहते है हैबिट इज नैक्स्ट स्लेवरी कहा जाता है अत: उन्होंने इन नशीले पदार्थों को रोकने के लिए भी सतत प्रयत्न किया था, सामाजिक ढंग से किया था। उपसभापति महोदय, अफीमची चीन अफीम का डिब्बा फेंक कर जागकर आज एक जागृत राष्ट्र है दुनिया में तीसरा राष्ट्र बनकर खड़ा हो गया है लेकिन यह भारत जिसने दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया, सदाचार के चरित्र का अनुशासन का पाठ पढ़ाया उसमें गांव-गांव में शराब की नशीली चीजों की दुकाने खुलती जा रही है। अब तो लोग गांजा भांग भूलकर अफीम मैंड्रेक्स टेबलेट हशीश आदि जो ये सब नाम हमारे माननीय सदस्यों ने गिनाए हैं इनको लेते हैं। मैं दो छोटी सी चीजों का नाम लेना चाहता हूं आज एडिक्शन ड्रग का काम पथेडीन ड्रग भी ले

रही है, कम्पोज भी ले रहे है अगर ये समझदार लोग लेते हैं तो समझदारी से अपनी जान या संपत्ति कुर्बान करते हैं लेकिन इसका असर स्कूल से लेकर कालेज के छात्रों में व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। आज देश के लिए जो सबसे गम्भीर अगर कोई चीज है तो राष्ट्र के जो हमारे उगते हुए नौजवान है उनके स्वास्थ्य की उनकी बुद्धि की उनके शरीर की सुरक्षा की समस्या है। लेकिन एक तरफ हम उनकी सुरक्षा चाहते है दूसरी तरफ महात्मागांधी के उसूलों को छोड़कर गाँव-गाँव में गांजा शराब की दुकानें खोल रहे हैं। अब उसकी पीठ पीछे चाय पान की दुकानों के रूप में इस तरह की दुकानों का जाल फैला है। यह नेटवर्क इस तरह से फैलता चला गया है कि पता नहीं सरकार इसको रोक पायेगी या नहीं। जनता पार्टी को रिजीम में सरकार ने नशाबंदी को लागू किया था इस सरकार ने आते ही नशाबंदी खोल दी। तो यह सरकार इसको कैसे रोकेगी उपसभापति जी अभी आपने देखा कि नशीली चीजों की कीमत इतनी है कि अगर एक बार किसी ने 20 करोड़ के नशीले पदार्थों को खपा लिया तो 20 करोड़ का मालिक हो गया और दो या तीन बार खपा लिया तो सौ करोड़ का मालिक हो गया और इस तरह वह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का मुकाबला कर सकता है। अब उसके पास नेटवर्क है और नेटवर्क नाट ओनली फार द कंट्री, इंटर नेशनल नेटवर्क है। उसके पास हथियार है, उसके पास आवागमन के साधन हैं उसके पास आदमी हैं एक बार पकड़े गये तो चिंता नहीं, जेल गये तो भी चिंता नहीं है। हवाई जहाज उनके लिए आसान हैं, पानी के जहाज उनके लिए आसान हैं ट्रांसपोर्ट उनके लिए आसान है, पुलिस तो आज खरीद की जा सकती है। जिस तरह से चरित्र भ्रष्टता फैलती जा रही है पुलिस उसको रोकने में असमर्थ है। कानून बना है। सभी लोगों ने कहा और हमारी नाजमा हेपतुल्ला जी ने कहा कि बड़ा कंप्रोहेंसिव ला है। ला तो सब कंप्रोहेंसिव होते हैं उसके साथ उस ला को पालन कराने वाला भी क्या चरित्रवान, है वह देश के प्रति जिम्मेदार है क्या ? अगर चरित्रवान नहीं है, जिम्मेदार नहीं है तो ? अगर होता तो नेपाल से 750 किलोमीटर पर तस्करों रुक जाती राजस्थान में रुक जाती, सीमा क्षेत्रों में रुक जाती। वहां पर सारी शक्ति लगाकर उनको अधिकार दिया गया है और इसका उदाहरण भी है कि जहां-जहां पुलिस ने एक्शन लिया है, सख्ती से काम लिया है करोड़ों करोड़ का चाहे हवाई जहाज पर हो चाहे बार्डर पर हो, पकड़ा है। आज आवश्यकता है कि इसको हम कैसे रोकें, एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, बार्डर हो और उनके नेटवर्क के जाल को हम कैसे तोड़ें। जो ला है---ला में ताकत दिया गया है, ला में सुरक्षा नहीं दी गई है। अगर उस काम में कोई मारा जाता है, तो उसके परिवार की सुरक्षा चाहिए। अगर पुलिस को सुरक्षा हो सकती है, लेकिन बार्डर पर गांव की जनता भी इसमें मदद कर सकती है। सोशल आर्गेनाइजेशन के लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। उनको प्रोटेक्शन नहीं है। जहां जान गई उसके लिए उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर इस नेटवर्क से मुकाबला करना है तो सचमुच में एक बार फिर महात्मा गांधी का नाम लेकर सोशल आर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए भी बनाना पड़ेगा कि तस्करी सिर्फ हमारे नौजवानों को अफीम चीन की तरह से अफीम खिला कर हमारे संस्कारों को, हमारी तेजस्विता को समाप्त कर हमारी आजादी को समाप्त करने की योजना नहीं है, बल्कि जन्मजात हमारी वंश परम्परा को बर्बाद करने के लिए है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर जरा गम्भीरतापूर्वक विचार हो। लेकिन जैसा कि हमारी प्रस्तावक महोदया ने स्वयं कहा कि मंत्री जी का जवाब सुनना चाहती हूं। मुझे पता नहीं कि मंत्री जी क्या जवाब देंगे। मंत्री जी जवाब देते है, तो समाज कल्याण के मंत्री एक तरफ जवाब देते है, वित्त मंत्री जी दूसरी तरफ जवाब देते हैं, मानव संसाधन मंत्री तीसरी तरफ जवाब देते हैं और गृह मंत्री चौथी तरफ जवाब देते हैं और उस जगह पर

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

हमारे सुरक्षा मंत्री जी की आवश्यकता हो जाती है । दवा भी हमारे दवा मंत्री के हाथ में नहीं है । दवा भी हमारे केमिकल्स और पैट्रोलियम मंत्री के हाथ में है । हमारे मंत्री के जिम्मे दवा बिकवाना हो सकता है, वह भी दवा आज, जब चाय और पान की दुकान पर एडिक्शन वाला दवा बिके, तो शायद स्वास्थ्य मंत्री जी का कुछ नहीं चलेगा ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि श्रीमती नाजमा जी ने जो सोशल आर्गेनाइजेशन की बात उठाई है, वालंटरी आर्गेनाइजेशन की बात उठाई है, उसको सभी पोलिटिकल पार्टियां, सामाजिक पार्टियां और अगर और भी कुछ धार्मिक पार्टियां इसमें सम्मिलित की जाएं, क्योंकि बुरी चीजों को रोकने में सब का सहयोग आवश्यक है और देश मे आज भी धार्मिक आदमियों का प्रभाव कुछ कम नहीं है । इसलिये उस ओर जब तक ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हम इस विधा को ठीक नहीं कर सकते ।

श्रीमन, सब से जबरदस्त हमारे कई मित्रों ने ठीक कहा है कि स्कूल और कालेज के करीकुलम में इन विषयों का समावेश किया जाये । यद्यपि खतरा वहां भी है । विषय की जानकारी देते हुए उसकी बुराई की जानकारी हम देंगे कि बुराई को मत पकडें, लेकिन बुराई को छोड़ने के बदले यदि यह बुराई पकड़ लें, तब भी कोई आसान चीज नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि करीकुलम में सबजैक्ट को इस प्रकार से दिया जाये— धीरे धीरे उनको यह ज्ञान हो जाये कि जीवन में क्या अच्छा है और क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । आज पता नहीं कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी कैसे रक्षण करेंगे । आज भी कालेजों के होस्टलों में स्मैक और इस तरह की चीजे बड़े जोर से इस्तेमाल हो रही हैं। कम्पोज और पैथड्रीन का रेगुलर व्यवहार शुरू हो गया है अगर बच्चों को इससे नहीं बचाया गया और शायद स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे बचायेगा, यह मेरी समझ में बात नहीं आ रही है । दवा पर वह कंट्रोल कर सकते हैं, स्मैक, हशीश और गांजा पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री को ही जवाब देने के लिये क्यों कहा गया है, क्योंकि, उनके जिम्मे दवा बनाना नहीं है, उनके जिम्मे अस्पताल है । लोग अस्पतालों में भी स्पिरिट पीने वाले भी बहुत से कर्मचारी हैं । उनको भी वह नहीं रोक पाये हैं । इसीलिये स्कूल और कालेज में कैसे इसकी व्यवस्था डालें, वह मुख्य मुद्दा है, अगर हम नौजवानों को इससे बचाना चाहते हैं।

दूरदर्शन का सहयोग इसमें आवश्यक है । अगर दूरदर्शन का सहयोग मिले, जो शिक्षाप्रद काम दूरदर्शन करता है, उसमें टार्गेटेड इफैक्ट करने के लिये कि हमको नशीली दवाइयों की आदत न लगे और लगे तो कैसे छुड़ायें, उसकी व्यवस्था भी निकालनी पड़ेगी ।

ठीक ही कहा गया है कि मनोचिकित्सक की भी व्यवस्था करनी पडेगी। तो हमको तो लगता है कि सचमुच में अगर सरकार चाहे, तो विशाल पैमाने पर, कानून के द्वारा नहीं, कानून भी हो, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा एक रचनात्मक व्यवस्था के द्वारा इस काम को हम करना चाहे तब तो हम कर सकते हैं, अन्यथा इस काम को नहीं कर सकते हैं । हमारे मित्र ने गोपालन समिति के बारे में कहा, मैं भी चाहता हूं, कि गोपालन समिति ने तो सिर्फ एक रिपोर्ट दी है, लेकिन इस पर लिखने वाले अनेक चोटी के जो जानकार हैं उन्होंने भी सरकार को बार-बार लिखकर हिदायतें दी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इस प्रकार की कितनी सहयोगी चीज हैं जिससे इन चीजों को रोका जा सकता है, क्या कभी मंत्री जी ने इसका मुआयना किया है ? अगर मुआयना किया है तो वह बताएं कि किस प्रकार से इसको रोकने की व्यवस्था आप कर रहे हैं । इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है, चूंकि मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी है इसलिय आप अवश्य इस सदन के मनोभावों को जो कि यहां प्रकट किये गये हैं उन सभी सहयोगी मंत्रियों से पहुंचा दें । प्रस्तावक महोदया ने सचमूच में एक महिला होने के नाते बच्चों और महिलाओं के दर्द को समझा

है । नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले पुरुष होते हैं, वे बच्चों को पीटते हैं, पत्नियों की पीटते हैं, गहने-जेवर और घर के सामान को बेचते हैं । सब से बड़ी बात तो यह है कि इन बड़ी-बड़ी कीमतों चीजों के नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि पैसे वाले ही यह सब करते होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस फेर में गरीबजादे ही पड़ते हैं । चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, गरीब लोग ही जाते हैं हमारे मित्रों ने कहा कि गांव के लोग भी जाते हैं, । आज इस आदत को पकड़ कर वे अपना स्वास्थ्य तो खत्म करते ही हैं, घरों के सामान को भी खत्म कर देते हैं । इसका असर बच्चों और महिलाओं पर भी पड़ता है । हमारी प्रस्तावक महोदया ने हमारे दर्द को समझा है और उसको देश के दर्द के साथ मिला कर रखा है । में उनसे भी एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि एक सदस्या होने के नाते तो उन्होंने यहां कर्तव्य निभाया है, लेकिन एक बडी पार्टी की महामंत्री होने के नाते भी उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस बात को उन्होंने यहां रखा है उस बात को दल में रख कर या रचनात्मक कार्य के रूप में रख कर वह पुनः देश करे जागृति दें और देश का मार्ग-निर्देश करें । में समझता हुं कि सदन से देश जागृत हुआ है लेकिन एक महामंत्री होने के नाते प्रस्तावक महोदया यदि रचनात्मक काम में, प्रेक्टीकल काम में आगे बढे तो ज्यादा लाभ होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ उनको धन्यवाद देते हुए और यह फिर से उनसे निवेदन करते हुए कि महात्मा गांधी की कांग्रेस कुछ बची हुई है तो कम से कम उनके मार्ग पर चलने का ही प्रयास किया जावे, वैसे अभी तक तो छोडने का ही, प्रयास किया गया है । धन्यवाद ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : ऊपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण संकल्प पर, जो माननीय नाजमा जी ने रखा है, मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। यह सच्चाई है कि इस संकल्प को लाकर नाजमा जी ने हमारे राष्ट्र का ध्यान इस ओर खींचा है जो कि बहुत ही जरूरी और आवश्यक भी है । बल्कि मैं यह कहने को तैयार हूं कि देश की जो आवश्यक और तात्कालिक आवश्यकता है वह इन दवाइयों से ग्रसित हमारी भावी पीढी को बचाने के लिये सब से आवश्यक है । उपसभाध्यक्ष महोदय, नाजमा जी के विचारों से भी और कानूनी ढंग से तथा पोलिटीकल ढंग से भी विचारों को बहुत अच्छी तरह से रखा गया है । इन बातों को हम धार्मिक, सामाजिक, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिये । जैसे कि स्वास्थ्य से पहले गांधी जी और हमारे देश के नेता राजनीतिक आजादी के साथ-साथ हमारे देश की नींव को मजबूत करने के लिये सामाजिक और आर्थिक सभी क्रांतियों को लेकर चल रहे थे । स्वदेशी के प्रचार तथा आजादी के बाद से हमारा देश कुछ अधोपतन की तरफ जा रहा है खास तोर पर चरित्र के मामले में और नशीली दवाओं के मामले में । मैं तो गांव से आता हूं और मैं तो इनके बारे में जानता तक नहीं था, आज ही इन नशीली दवाइयों के नाम मैंने सुने हैं, मैं तो इनके नाम तक नहीं जानता था, लेकिन मैं इस राय का जरूर हूं कि सामाजिक धार्मिक या कानूनी ढंग से या फिर हमारे गृह मंत्रालय से तथा हर विभाग से इसमें आप सहयोग लें । जहां तक हमारे देश की सीमाओं से यह नशीली दवायें आती हैं या ड्रग्स आती हैं, मैं जानता हूं कि एक देश में दूसरे देशों से जहाजों के जरिए आती हैं और हमारे कस्टम के जो लोग हैं, उनसे मिलकर नशीली चीजें आती रहती हैं । तो वहां भी ध्यान देने की जरूरत है ।

इसके साथ ही जो यह प्रचार का काम है, उस बारे में कुछ कहूंगा । हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमत न हों, लेकिन मैं इस राय का हूं कि टेलीविजन और रेडियों को इस काम में नहीं लेना चाहिये । चूंकि देखने में यह आया है कि सिनेमा जो बच्चे देखते हैं, कहते हैं कि इसका आखिरी रिजल्ट अच्छा होगा । आखिरी रिजल्ट देखेंगे । मैं सुनता रहता हुं बच्चों

[श्री राम चन्द विकल]

से कहानी । होता यह है कि जो खराब दृश्य दिखाये जाते हैं, उनका बच्चों पर जल्दी असर होता है । सिनेमाओं में या रेडियो से या टेलीविजन से बताया जाता है कि यह नशीली दवायें कैसी होती हैं क्या इसका असर होता है, उसका प्रभाव बच्चों पर होता है । एक दफा टेलीविजन पर दिखा रहे थे ड्रामा इस बारे में, तो मैंने बच्चों को रोका कि इसको न देखें । जो खिलाने की तरकीब बता रहे हैं, जिनके बारे में मेरे जैसे आदमियों ने सुना नहीं, सुनकर कम से कम खराब बातों का प्रभाव जल्दी हो जाता है कि हम इस ढंग से करें ।

जहां तक नाजमा जी ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं जानता हूं कि स्त्रियां हमारी उदार होती हैं, सहिष्णु होती हैं, धार्मिक होती हैं और नशीली चीजों से बचती हैं । स्त्रियां समाज पर छाई होती हैं और बच्चों को घूंटी में मिला देंगी यह अमिट हो जाएगा । समाज सुधार में इनका बहुत महत्व है और इस काम में ज्यादा काम लेना चाहिए । लेकिन आज जो हमारी बहन बेटियां अप टूडेट बन गयी हैं, उनमें भी यह जहरीली चीज पहुंच रही है धीरे धीरे क्योंकि हमारे यहां बड़प्पन क्या है, उन पर सारे मर रहे हैं । अपने को प्रगतिशील कहलाना, कुछ पुरानी चीजों की नकल करना, विदेशों की नकल करना एक नशा हो गया है । हमारे गांव तक में यह बीमारी पहुंच गयी है कुछ शराब पीने लगे हैं । हमारे जमाने में बच्चे हुक्का तक नहीं पीते थे बड़ों के सामने और आदत पड़ी तो चोरी छिपे ऐसा करते थे । अब नशा खुलेआम होने लगा है दुकानें खुलने लगी हैं नशे का प्रदर्शन खुले आम होने लगा है गांव में, शहर में सब जगह हो रहा है । एक नंगा सा नाच आज नजर आता है । हम तो सोचते हैं कि हम इस दुनियां में रहने लायक हैं भी या नहीं ।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास एक बच्चा मेडीकल इंस्टीट्यूट से आया कुछ यह प्रचार फैल गया कि मैं आसनों से कुछ बीमारी दूर कर रहा हूं वह बच्चा आया जिसके ताबीज बंधा हुआ सोने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा था । मेडीकल इंस्टीट्यूट में उससे कह दिया कि उसकी आवाज खत्म हो गयी । करीब करीब बहुत मुश्किल से लिखकर के बात करता था । उसके जो कपोल थे सिकुड़ गए थे और सारा शरीर उसका ऐसे जैसे पिंजड़ और डाक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा इलाज ही नहीं होगा । जब मेरे पास वह आया था तो मैं उसकी शक्ल देखकर थोड़ा एनालाय, सिस करने लगा । संयोग से थोड़ी बात निकली मैं उससे कहने लगा जो यूनिवर्सिटी से आया था क्योंकि मैंने सुनरखा था कि यूनिवर्सिटी कालेजों और होस्टलों में यह नशीली दवाएं चल रही है, मैं कहने लगा कि मेडीकल इंस्टीट्यूट से तुम लाइलाज कर दिए गए तो कहीं तुमने नशीली दवाएं तो नहीं खा ली । वह लड़का सहमा । मैंने कहा सच्चाई बताओगे तो ही मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगा । आसन और क्रियाएं बताऊंगा । तो उसने सचमुच स्वीकार किया और यह कहा कि मेरी बुआ अमरीका में दो और डाक्टरों ने सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी अमरीका चले जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे । डाक्टरों ने यह भी कहा कि अमरीका जल्दी चले जाओ । मैंने उसको कुछ तरकीब बताई । उसके बाद वह लौटकर मेरे पास नहीं आया हो सकता है अमरीका में जो डाक्टरों ने कहा था बुआ के यहां चला गया हो । ऐसे लड़के बहुत हैं तो इस चक्कर में आ रहे हैं । मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सरकार को और सारे विभागों को कि इसको एक तरह से राष्ट्रीय सवाल समझ कर युद्धस्तर पर लेना चाहिए चाहे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या धार्मिक संस्थाओं के द्वारा या राजनैतिक पार्टियों के द्वारा इस बुराई को दूर करना है । हमारी सरकारी मशीनरी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये नहीं पकड़ते । ऐसा देखा भी गया है कि पुलिस भी इन चीजों से परे नहीं है, पुलिस में भी नशा करने वाले हैं, जो नशा रोकने का काम करते हैं, वहीं नशा करते रहते हैं । इसके लिए हमें प्रेक्टीकल बात करनी चाहिए, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हों या राजनेता हों या सब, इसको रोकें । देश की भावी पीढ़ी पर आपनिर्भर कर रहे

है। सभी लोग सोचते हैं कि भावी पीढ़ी को जिम्मदारी है, भावी पीढ़ी पर सुबह भी चर्चा हो रही थी और ऐसा कोई दिन नहीं होता, जिस दिन चर्चा न होती हो। स्वराज्य में विदेशी राज को भी निकालना जरूरी था, उसमें संकटग्रस्त समय में विभिन्न तरीके से काम किया। आज दवाओं का है, मैंने तो हीरोइन का नाम पहली बार सुना। "हीरोइन" शब्द मैंने पहली बार सुना। मैं सिनेमा में काम करने वाली लड़कियों को हीरोइन समझता था। आज बताया गया कि नर्शली नवाई भी ऐसी होती है।

श्री सुशील चन्द महन्त : वह हीरोइन भी नशा हो है।

श्री रामचन्द्र विकल : मैं आपका बहुत आभार मानता हूं। मैं नाजमा जी को बहुत बधाई देता हूं कि दे नई पीढ़ी को उबारने के लिए इस तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाई है। सरकार के द्वारा इसका अनुमोदन ही नहीं, इस पर अमल भी करना चाहिए। धन्यवाद

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this subject. I congratulate Dr. Najma Heptulla for bringing in this Resolution. This Resolution needs very wide support. Sir, we find that our society is slowly slipping into the vices of the Western world, with the result not only our health, but the mental faculties and the economic position of the people using these drugs are also affected. Everything is affected. Persons even do not have the will to work after being addicted to these drugs. In every material aspect, we suffer.

Sir, here, I must say one thing in regard to the spread of this drug menace. There are four categories of persons who can said to be concerned with the spread of this drug menace. The first is the producer or the manufacturer. The second is the person who is in league with the producer or the manufacturer, the transporter who brings these drugs into our country from across our borders, who smuggles these drugs into the country. The third is the carrier and the fourth is the consumer. These are the four categories of persons. Secondly, what we find is that it is the carrier who is normally apprehended and arrested. The smuggler or the producer is not caught. Of course, we do not bother about the consumer. Only the carrier is normally apprehended. Normally, when we read in the newspapers that such and such person has been caught by the police with so much of heroin, opium or ganja, or, whatever the narcotic drug may be, it is the carrier who is caught in the net of the police. It is the carrier who is arrested, tried and punished. But this is no solution. The carrier is a person who is ordinarily a poor man, who does this in order to make some money out of this. He has to toil and suffer to bring these goods, drugs, from across the borders, no matter what ways and devices he has to adopt to elude the police. Then, he goes to a particular place and dispose it of there. When he is caught, the police do not have access to the person who is the atoual smuggler or who is the producer of these drugs. But if the police is vigilant, they can track down the real culprits. With the help of the carrier, the police can get hold of the smuggler and the producer. It is possible, they may not have clues and evidence against a particular smuggler. But when they come to konw, with the help of the carrier, by interrogating the carrier, that these are the persons who are indulging in this racket, they can keep an eye upon them. If the law enforcing agency is honest and vigilant, there is no doubt that they will be caught one day or the other in the net. Only when these people are caught, we

can stop the flow of drugs from across the border. Now, when we find that innocent boys, young boys, college going and school-going boys, are consuming these drugs and narcotics, when we find that it has become a habit with them, I cannot understand how it can escape the eyes of the law-enforcing agency. Everybody knows. If it is a village, everybody knows that in this village there are four, five, seven or ten porsons who are addicted to opium. From their eyes, from their face and habits anybody can make out that they are opium addicts. It is not difficult to know it. It is not a secret. It is not that opium is taken secretly and nobody knows about it. His friends know it. All the people with whom he has contacts, know it. Similar is the case with other drug addicts. Anybody in the neighbourhood can say that he is addicted to such and such drug. The only thing is our law enforcement agency does not try to have a list of those drug addicts. Once they have a list of those persons a check can be kept over them. If you are honest, you can implement the law seriously. The law has a very deterrent effect. The law that we have passed has a very deterrent effect. It will have a deterrent effect if real culprits are caught, but I cannot understand how both the persons can really be kept at par, the person who smuggles and the person who is used as a carrier. Also the person who uses it is kept on par with those wo category of persons. All the three are treated in the same category. I can tell you one thing. If you do not keep a balance between punishment and offence, the offender is going to escape because if the punishment is very severe, the allurement which the offender will offer to the law enforcement agency will be of a higher order and more often than not people will fall for the allurement and he will escape. So, there must be a balance between the two, the punishment and the offence, so that the person who is enforcing the law does not come under pressure or get tempted to the allurement offered by the offender. This is very important. Mr. Kalpnath Rai was saying that we should hang all such persons. If you do that, you will not get the real culprit, only innocent people will be hanged and the real culprits will go scot free.

My second point is about the people who are chemists, who are dealing in certain drugs which also contain one of these commodities in their medicines. They must also be distinguished from the regular criminals. For instance, a person keeps pathidine injection. It is a drug which is licensed, which has to be kept in a particular manner, which can be sold only on certain prescriptions. It may be that at times some formalities cannot be fulfilled. So, a distinction must be drawn and we should not make the law so stringent that even the needy person may not be able to get the injection. For example, if you go to Chandigarh chemist shop, nobody keeps the pathidine injection because if you keep it, you are liable to run into trouble. There will be pressure from the drug inspectors on you to greeze their palm to keep the injection. If that is so, why should they enter into this headache? So, the question is, the law is there and there must be a will to enforce the law not only with the help of the official agency but also through social organisations who can feed the official agency with information regarding the persons who are habitual of consuming these drugs or narcotics. This is very important. Once you have a list, a watch can be kept over them. Then we should try to trace out the smuggler. It may not be possible for us from the start to trace out the smuggler but we can go through the carrier. We can reach the actual smuggler who smuggles these drugs and narcotics inside the country. If you look at the background of those people who really

smuggle, they can be caught. Otherwise also if you look at their background, they do not have a very flourishing background and all of a sudden you find that certain people have become very very rich, overnight. Within a period of two to four years people pile up crores and crores of rupees, they have properties, cars and all other luxuries—but how?No inquiry is ever made into the antecedents of those people... (*Interruptions*)... There is no watch, no eye on them, and no inquiry is made into the matter at all as to how people become rich overnight with the taxation laws in vogue.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए।

श्री सुशील चन्द्र महन्त : इसलिए मैं कह रहा था कि जो आप रेजलूशन लाई हैं वह निहायत अच्छा है लेकिन खाली रेजलूशन से कुछ नहीं होगा। इसके पीछे बिल चाहिए इनफोर्स करने के लिए केवल कानून लाने से कुछ नहीं होगा। सोशल आर्गनाइजेशन का कार्य भी इसके बहुत जरूरी है।

मैं इस रेजलूशन का समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S KRISHNA KUMAR): Sir, I congratulate the mover of the Resolution, Dr. (Shrimati) Najma Heptulla as well as the other honourable Members who have spoken on the Resolution for focussing at the alter of public opinion one of the vital social and mental health issues The purpose of my intervention is only to place before the House the multitudinous and multifarious efforts made by the various Departments of the Government of India to check the scourge of drug abuse which has dangerous portents for our country in terms of suffering for families, sapping the very vitality of our youth, detracting from the imaginative programmes undertaken under the leadership of our Prime Minister for the Nation's human resources development.

Sir, honourable Members are entirely correct in pointing out that various Ministries of the Government, especially the Ministry of Finance, Home Ministry, the Ministry of Education, the Ministry of Social Welfare as well as the Ministry of Health are responsible for dealing with various aspects of the problem of drug abuse. But this Resolution was addressed to my Ministry and I have been assigned the responsibility of speaking on behalf of my different colleagues.

Sir, over the past few years India has become a transit country for drugs and narcotics originating from the near and middle-east countries and Pakistan, and this has been established by recent reports of the International Narcotics Control Board. Sir, New Delhi and Bombay have become the most important exit points for, what are known as, opiates and cannabis. They have become the nerve centres of this nefarious activity.

Sir, 50 to 70 per cent of the drugs seized in India are of Pakistani origin. It is estimated that about 5,000 kilograms of heroin per annum are smuggled into India through the North-West Frontier. This large-scale influx has led to illicit availability of drugs in the country and that is the genesis of our problem.

Sir, two major studies have been conducted on the drug abuse problem in the country—by the All-India Institute of Medical Sciences (1976-77) and the Delhi School of Social Sciences (1977-78) and these studies point to a geometric rise in the prevalence of drug abuse among students and youth, blue-collar workers, slum dwellers and, as pointed out by one of the honourable Members, even among the petty vendors in major cities. Sir, this problem has increased by leaps and bounds in the last four years. There are various esti-

[Shri Krishna Kumar]

mates of the number of drug-addicts in the country. The most conservative estimate puts it at one lakh. The three hospitals, the G.B. Pant Hospital and the AIIMS, Delhi and the Bombay KEM alone have reported 150 cases per week in the 1st three months. Government is fully alive to the serious dimensions of this problem and is committed to fighting this menace. It is a multi-dimensional effort involving prevention of trafficking, repression of traffickers, punitive action, identification of addicts, referal treatment and rehabilitation and creating public awareness. Sir Government would like to submit that one of the reasons for the perception that the drug-abuse is on the increase is better enforcement, resulting in greater seizure and greater publicity so that you get a feeling that the prevalence of the drug-abuse is on the increase.

Sir, I would like to submit that it was the Government of Shri Rajiv Gandhi which brought about the historic legislation last year, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. This is a comparehensive Act which came into froce fittingly on the 14th of November, 1985, the birthday of Jawaharlal Nehru. Sir, the new Act enhances the punishment of rigorous imprisonment from ten to twenty years and a fine of Rs. 2 lakhs for the first time. Even attempt , abetment and conspiracy have become cognisable and entail the same punishment. Officers have been invested with increased powers. Simultaneously the Ministry of Health has amended the Drugs and Cosmetics Act, and a new schedule containing 17 psychotropic drugs have been included, and their import manufacture and sale have been severely restricted. Sir, rewards for informers and Government servants who contribute to detection and seizure have been enhanced from 10 to 20 per cent and made applicable also to police personnel for the first time as per this Act. Special cells have been created in all the Customs Collectorates in the country. Many people have been detained under the COFEPOSA for narcotic offences.

There has been a steep rise in the seizures. Sir, from November, 1985 to January, 1986 alone 730 kg. of heroin, 8,300 kg. of charas 23000 kg. of ganja were seized signifying a quantum jump from the previous years. In the last three times more narcotics and drugs have been seized than the total figure of 1985. This has been due to stricter enforcement of the Act. Special drives have been launched by the Delhi and Bombay police. In a single operation called Operation Kalbhairav, on the 23rd of December, 1985, 40 persons were arrested and a very substantial eatche of drugs seized.

As has been pointed one of the hon. Members, there is need to increase the sea-coast and land border vigilance, and that has been implemented by this Government. High-level meetings have been held in the border States and the border vigilance enhanced.

One of the Members mentioned that there have not been any prosecutions. This is incorrect. In 1984, 1,248 persons were prosecuted. Last year, after the coming into force of the Act 1.300 persons have been arrested and prosecuted.

Another breakthrough has been the second meeting of Indo-Pakistan Joint Commission. It has agreed that our two countries, that is, India and Pakistan, will exchange information for Joint, concerted action against drug trafficking.

Sir, coming to the health side the facilities for treatment of the drug-addicts have been inadequate. Only 22 institutions in the country, attached to the Departments of Psychotropics in medical colleges and some other mental hospitals now give the treatment. One of the important facets of the new Act is that section 71 of the Act imposes on the Govern-

ment the responsibility of establishment of centres for drug-deaddiction. An expert committee has been constituted by the Health Ministry and I am happy to announce on behalf of the Government that we shall shortly launch a national drug de-addiction programme under the auspices of the Ministry of Health, Government of India. To start with, these de-addiction centres will be started in the four metropolitan cities of Delhi. Calcutta, Bombay and Madras and also in Imphal, Veranasi, Goa, Amritsar, Chandigarh and Srinagar. The National Capital region will be developed as a model for this work and this will be multiplied at other places. I do not want to go into the de-toxifications programme because it is technical in nature. We are also going to set up an advanced centre on drugs and also halt our dependence on the All India Institute of Medical Sciences, one of our Centres of excellence.

Voluntary organisations have been Increasingly involved in this programme as per a camp approach initiated by the Ministry of Welfare. Four camps have already been organised. Sixteen more are going to be founded. 1,122 addicts have already been treated. Common guidelines and uniform training courses are being organised for the voluntray organisations. In this connection, I would like to mention the work of two voluntary organisations which are to be lauded. That is the Opium Deaddiction Treatment Training and Research Institute, Jodhpur headed by Mr. Narayan Singh, Padma Shri, School teacher, and Shri T.T. Ranganathan, Clinical Research Foundation, Madras, engaged in the treatment of drug addicts.

A vigorous publicity campaign has been launched. The Finance Ministry has made available Rs. 12 lakhs for this campaign. Mass education and motivational programmes are being planned.

There are various estimates regarding the students affected by this. Some people say it is 30 per cent in Delhi, but one of our estimates suggests four per cent of college students in Delhi are probably susceptible to drug. abuse. We have created various programmes, including Essay and debate competitions. TV plays, vigilance in university camps and hostels. Special cells have been set up in the Bombay University, in Delhi and JN Universities to fight the problem of drug abuse.

Shri Ramakrishnan, an hon. Member, mentioned that we have not yet constituted a national advisory board for fighting drug abuse. I may point out we have instead constituted an inter-ministerial group to look after all aspects of the problems. We have also set up under the Ministry of Finance and a notification has been issued—a Nacotics Control Bureau, which will be coordinating these efforts.

The second part of the Resolution refers to the possibility of using the penalties and fines under this programme. I would like to submit on behalf of the Government that there is no need to link these penalties with the programme. We would like to organise drug de-addiction programmes. All programmes for drug abuse as a regular planned budgeted programme of the Government. The suggestion is impractical because most of the cases get into long drawn out court proceedings and it is impossible to estimate the fines which will be accruing. Most of these fines acerue to the treasury of the State Governments. Ganja, for instance, has to be given to Government factories and most of the drugs are destroyed after seizure.

We are happy that organisations like the National Students Union of India and other organisations of the Congress Party have taken the drug abuse problem under the priority problems and have started movement. I would like to call upon the political parties to start a mass move-

[Shri Krishna Kumar]

ment in the country, movements involving students, youths, women and other public organisations, to come forward and help Government in fighting the scorage of drug abuse which has the potential to disrupt the very social fabric of our country.

In view of the efforts undertaken by the Government to meet this problem, I suggest that the Resolution may not be pressed.

5 P.M.

DR (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Mr Vice-Chairman, Sir, in view of the assurance given by the Honourable Minister and since a law has already been enacted to deal with this menace, I hope the Government will fulfil the assurance and take stringent measures. Therefore, I withdraw my Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. KAUSHIK): Is it the pleasure of the House that leave be granted to withdraw the Resolution?

(No hon. Member dissented)

The Resolution was, by leave, withdrawn.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the chair]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Mohsina Kidwai, Minister of Health and Family Welfare will make a statement.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr Deputy Chairman, Sir, I have got a point of order to make. Two minutes were left before that Resolution was disposed of and as a matter of rule the second Resolution should have been taken up. Therefore, I want that I should be given a chance to move my Resolution and the Minister cannot intervene during this period because it is a Private Members' time.

DR (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Mr. Basu, is was my privilege to reply and withdraw the Resolution. The Minister intervened when only one minute was left and it was already 5 O'clock so I sat down.

SHRI CHITTA BASU: We had two minutes to move my Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the matter is over. Please sit down.

The Minister will make the statement.

STATEMENT BY MINISTER

II. RE. Government decisions on the Report of the Medical Education Review Committee

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): Sir, I place on the Table, the Report of the Medical Education Review Committee and also a Statement indicating the decisions of the Government on the recommendations of the Committee. The terms of reference of the Committee were as follows:—

(i) to review the current admission procedures (including entrance tests) and domiciliary restrictions for admissions to under-graduate and post-graduate courses and to make suitable recommendations separately, in regard thereto;

(ii) to suggest measures aimed at bringing about overall improvement in the under-graduate and post-graduate medical education, paying due attention to:

(a) institutional goals;

(b) content, relevance and quality of teaching and training and learning settings; and

(c) evaluation systems and standards;

(iii) to recommend the optimum duration of under-graduate and post-graduate courses of study separately;